[2022] 8 एस. सी. आर 403

SIDRAM

वी.

दिव्य प्रबंधक, संयुक्त भारत बीमा

सीओ। लिमिटेड। AND ANDR।

(2022 की सिविल अपील संख्या 8510)

16 नवंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: क्षतिपूर्ति-मोटर दुर्घटनाओं के दावे में वृद्धि-19 वर्ष की आयु के दावेदार को नुकसान उठाना पड़ा सड़क दुर्घटना में दावेदार को गंभीर चोटें आईं

दुर्घटना के कारण पैराप्लेजिया जो 45 प्रतिशत तक स्थायी विकलांगता का कारण बना-न्यायाधिकरण ने 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

6,13,000 / - याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। 9,26,800 / - - अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक गंभीर चोट न केवल स्थायी रूप से शारीरिक सीमाओं और अक्षमताओं को लागू करती है, बल्कि अक्सर पीड़ित पर गहरे मानसिक और भावनात्मक निशान लगाती है-तथ्यों पर, डॉक्टर का मौखिक साक्ष्य कि दावेदार को भुगतना पड़ा

45 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता-अभिलेख पर साक्ष्य इंगित करते हैं कि दावेदार को दुर्घटना के कारण पैराप्लेजिया का सामना करना पड़ा, जो कि निचले शरीर के पक्षाघात का एक रूप है और यह रोजमर्रा की दिनचर्या को विशेष रूप से शारीरिक गतिविधि को प्रतिबंधित करता है-पैराप्लेजिया शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बाधित करता है और पीड़ित के सामाजिक और वित्तीय कल्याण पर विनाशकारी प्रभाव डालता है-इससे कमाई का नुकसान होता है-दावेदार के व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित कहा जा सकता है-इसे देखते हुए, मुआवजे को रु। 9,26,800 / - रुपये 21,78,600/- तक।

क्षतिपूर्तिः न्यायसंगत क्षतिपूर्ति-स्पष्टीकरण-आयोजितः ' न्यायसंगत मुआवजे में वे सभी तत्व शामिल होने चाहिए जो दुर्घटना की घटना से पहले पीड़ित को उस स्थिति के करीब रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं जिसमें वह या वह था-किसी गंभीर दुर्घटना के बाद पीड़ित को होने वाले आघात, दर्द और पीड़ा को कोई भी राशि या अन्य भौतिक मुआवजे से मिटाया नहीं जा सकता है-मौद्रिक मुआवजा कानून को ज्ञात तरीका है, जिससे समाज उन लोगों को कुछ हद तक मुआवजे का आश्वासन देता है जो जीवित हैं और पीड़ितों को जिनका सामना करना पड़ता है।

उनके जीवन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अदालत द्वारा मुआवजे का निर्धारण करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक बहुत ही कठिन कार्य है और यह कभी भी एक सटीक विज्ञान नहीं हो सकता है। सही मुआवजा शायद ही संभव है, विशेष रूप से चोट और अक्षमता के दावों में। मोटर वाहन क्षतिपूर्ति दावों का आकलन करने में इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया जाने वाला सिद्धांत यह है कि पीड़ित को अन्य क्षतिपूर्ति निर्देशों के साथ दुर्घटना से पहले की स्थिति के करीब रखा जाए। सुविधाओं के नुकसान और अन्य भुगतानों के लिए। [पैरा 29,30] [420-एच;

1.2 यह अब कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि मोटर-दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाली स्थायी अक्षमता के मामलों में भी, दावेदार भविष्य में आय के नुकसान के लिए मुआवजे के अलावा भविष्य की संभावनाओं के लिए भी राशि की मांग कर सकता है। विभिन्न न्यायाधिकरणों के कई आदेश हैं और दुर्भाग्य से विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पुष्टि की गई है, यह विचार रखते हुए कि दावेदार का अधिकार नहीं है

स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप गंभीर चोटों से जुड़े दुर्घटना मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा। यह कानून की सही स्थिति नहीं है। स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप गंभीर चोटों से जुड़े दुर्घटना मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे की संभावना को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह का संकीर्ण अध्ययन अतार्किक है क्योंकि यह दुर्घटना के मामलों में जीवित पीड़ित के जीवन में आगे बढ़ने की संभावना को पूरी तरह से नकारता है-और पीड़ित की मृत्यु के मामले में भविष्य की संभावनाओं की ऐसी संभावना को स्वीकार करता है। [पैरा 31] [421-सी-ई]

1.3 " न्यायसंगत मुआवजे में वे सभी तत्व शामिल होने चाहिए जो

दुर्घटना की घटना से पहले पीड़ित को उस स्थिति के पास रखने के लिए जाएगा जिसमें वह था। जबकि कोई भी राशि या अन्य भौतिक मुआवजा उस आघात, दर्द और पीड़ा को मिटा नहीं सकता है जिससे पीड़ित गंभीर दुर्घटना के बाद गुजरता है, (या किसी प्रियजन के नुकसान की जगह ले सकता है), मौद्रिक मुआवजा कानून को ज्ञात तरीका है, जिसके द्वारा समाज कुछ उपाय का आश्वासन देता है।

जो बच जाते हैं, और जिन पीड़ितों को अपने जीवन का सामना करना पड़ता है, उन्हें क्षतिपूर्ति। पीड़ित को हुई चोट का मौद्रिक मूल्यांकन करना ही पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने के लिए बनाई गई एकमात्र प्रक्रिया है। इस तरह के मूल्यांकन की प्रक्रिया, चाहे मृत्यु या चोट के मामले में, मोटर वाहन SIDRAM v की धारा 168 में प्रदान की गई है।

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR।

1.4 अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर चोट न केवल स्थायी रूप से शारीरिक सीमाओं और अक्षमताओं को लागू करती है, बल्कि अक्सर पीड़ित पर गहरे मानसिक और भावनात्मक निशान लगाता है। जब भी पीड़ित को मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने का काम सौंपा जाता है, तो पीड़ित को उस दुनिया से पूरी तरह से अलग दुनिया में रहने का परिचर आघात, जिसमें वह पैदा हुआ है, एक अमान्य के रूप में, और दूसरों पर निर्भरता की डिग्री के साथ, पूरी व्यक्तिगत पसंद या स्वायत्तता को लूटा जाना, हमेशा न्यायाधीश के दिमाग में होना चाहिए। इस तरह की चोटों के कारण लगाई गई गंभीर सीमाएं गरिमा को कमजोर करती हैं (जिसे अब अधिकार के एक आंतरिक घटक के रूप में मान्यता दी गई है)।

व्यक्ति के अनुच्छेद 21) के तहत जीवन के लिए, इस प्रकार व्यक्ति को वंचित करना

विशेष रूप से शारीरिक गतिविधि और इससे (i) जीवन के साधारण सुखों और सुविधाओं से वंचित होना, (ii) कमाई करने की क्षमता में कमी, (iii) दीर्घकालिक माध्यमिक जटिलताओं की आवश्यकता होती है। निरंतर देखभाल, चिकित्सा उपचार और अस्पताल में भर्ती होना, (iv) असहायता, अवसाद, क्रोध, तनाव, चिंता आदि की भावना। संक्षेप में, पैराप्लेजिया शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बाधित करता है और पीड़ित के सामाजिक और वित्तीय कल्याण पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। हाथ में मामले में, अपीलार्थी बर्तन बेचने के व्यवसाय में था और उसे बेचने के लिए विभिन्न गाँवों की यात्रा करता था। पैराप्लेजिया के रूप में इस विकलांगता के साथ [2022] 8 एस. सी. आर.

अपीलार्थी द्वारा पीड़ित, उसके लिए अब लंबी दूरी तक चलना या लंबे समय तक खड़ा रहना संभव नहीं है। कहा जा सकता है कि उनका व्यवसाय गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। इसके अलावा, दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु केवल 19 वर्ष थी। उच्च न्यायालय ने उनकी अनुमानित आय को रुपये से बढ़ा दिया। 5,000 / - रु. तक। 7,000 / - प्रति माह। अपीलार्थी ने दावा किया कि उसकी अनुमानित आय रु। 9,000 / - . इस प्रकार, विशेष रूप से कीर्ति के मामले में इस न्यायालय के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि यह आवश्यक नहीं है

पीड़ित की काल्पनिक आय को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें और न्यायालय किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में भी इसे प्रदान कर सकता है। विधि का चयन करते समय और काल्पनिक आय निर्धारित करते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सही है, न तो मुआवजे का आकलन बहुत रूढ़िवादी रूप से किया जाता है और न ही बहुत उदारता से। इस प्रकार, अपीलार्थी की अनुमानित आय रुपये निर्धारित की जाती है। 8,000 / - प्रति माह। इसके परिणामस्वरूप मुआवजे को निम्नानुसार बढ़ाया जाएगाः 8000 x 12 x 18 x 45 % आई. एन. आर. 7,77,600/- [पैरा 56,57,59,60] [455-सी-ई; 456-ए-सी]

2.3 6 के लिए कमाई के नुकसान शीर्ष के तहत मुआवजा

न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा महीनों का आदेश दिया गया था। न्यायाधिकरण ने केवल एक लाख रुपये का फैसला सुनाया। 40,000 / - इस सिर के नीचे। उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। 42,000 / - . उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए छह महीने के लिए कमाई के नुकसान के भुगतान को बरकरार रखा गया है और संशोधित आय को लागू करते हुए, निम्नानुसार वृद्धि की गई हैः 8000 x 6 = INR 48,000/- [पैरा 61,62] [456-D-E]

2.4 अपीलार्थी रुपये का दावा करता है। 2,00,000 / - चिकित्सा खर्चों के लिए। इस संबंध में, अपीलार्थी ने वृत्तचित्र प्रस्तुत किया

जैसे कि न्यायाधिकरण के आदेश में कहा गया है, रुपये के चिकित्सा बिलों/प्राप्तियों के रूप में साक्ष्य। रुपये का मुआवजा। 1,55,000 / - चिकित्सा खर्चों के लिए दिया जाता है। [पैरा 63,66] [456-एफ; 457-बी]

2.5 "भविष्य के चिकित्सा व्यय" और "परिचर"

शुल्क "आर्थिक व्यय के दायरे में आते हैं। न्यायाधिकरण ने पाया कि डॉक्टर ने बयान दिया है कि अपीलार्थी रुपये का खर्च होने की संभावना है। 2,50,000 / - भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए। हालाँकि, न्यायाधिकरण के अनुसार, कोई SIDRAM v नहीं था।

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR।

इस शीर्ष के तहत उस संबंध में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य। तदनुसार, न्यायाधिकरण ने एक करोड़ रुपये का आदेश दिया। 25,000 / - . उच्च न्यायालय ने भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए कोई राशि नहीं देने को उचित समझा क्योंकि अपीलार्थी द्वारा भविष्य के उपचार के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया था जिसकी आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करना उचित समझा कि यदि अपीलार्थी को भविष्य में किसी सर्जरी या उपचार के लिए कोई खर्च करना पड़ता है। जो चोट लगी है और यदि वह वही साबित करता है, तो बीमाकर्ता उसी की क्षतिपूर्ति करेगा। पीडब्लू-2-डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलार्थी को भविष्य में चिकित्सा खर्च के लिए रु। 2,50,000 / - . अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी भविष्य में फिजियोथेरेपी और नर्सिंग के साथ-साथ चिकित्सा खर्चों के लिए खर्च वहन करेगा और यह देखते हुए कि दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष थी, आज उसकी आयु लगभग 29 वर्ष होगी, भले ही न्यूनतम रु। 1000 / - प्रति माह खर्च किया जाता है, फिर यह आता हैः 1000 x 12 x 18: रु. 2,16,000 / - . रु. 2,16,000 / - भविष्य के चिकित्सा के लिए सम्मानित किया जाता है

खर्च। [पैरा 67-69,72] [457-सी; 457-एफ-एच; 458-ए-बी; 459-सी] 2.6 मुख्य परिचारक प्रभारों के तहत, न तो न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने कुछ भी निर्णय देना उचित समझा। सबूत

अभिलेख इंगित करता है कि अपीलार्थी खड़ा होने, चलने, बैठने या अपने शरीर को मोड़ने या कुछ भी भारी उठाने में असमर्थ है। यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी उसी तरह से काम नहीं कर पाएगा जैसे वह दुर्घटना से पहले करता था। निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी दुर्घटना के कारण पैराप्लेजिया से पीड़ित है और उसे पूरे दिन एक परिचारक की आवश्यकता होती है। दावेदार के अनुसार, परिचारक को रखने की लागत रु। 4,500 / - प्रति माह। यह रुपये में तय किया गया है। 2,000 / - प्रति माह। रुपये की राशि। 4,32,000 / - परिचर शुल्क के लिए सम्मानित किया जाता है। [पैरा 73,76] [459-डी-ई; 462-एच]

2.7 दुर्घटना 18.07.2012 पर हुई। अपीलार्थी

पिछले लगभग 10 वर्षों से इस मुकदमे की पैरवी कर रहा है। इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी 2018 में दायर की गई थी। तब से चार साल हो चुके हैं। रुपये की राशि। 50,000 / - मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए दिया जाता है। [पैरा 78,82] [463-बी; 465-डी] 2.8 परिवहन और विशेष आहार के नुकसान के लिए, अपीलार्थी को दुर्घटना के बाद [2022] 8 एस. सी. आर. पर 50,000/- रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।

कुलगोड-गोकक रोड, अपीलार्थी को बेलगाम के लेकव्यू अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ उन्हें 19 दिनों के लिए 18.7.2012 से 6.8.2012 तक एक इनडोर रोगी के रूप में भर्ती किया गया था, और उन्हें लगी चोटों का इलाज किया गया, और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उपचार जारी रखा। इस प्रकार,

रु. 50,000 / - परिवहन और विशेष आहार के नुकसान के लिए सम्मानित किया जाता है। [पैरा 89,90] [467-सी-ई]

2.9 दर्द और पीड़ा को गैर-आर्थिक नुकसान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा क्योंकि यह अंकगणितीय रूप से गणना करने में असमर्थ है। इसलिए, जब दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा दिया जाना है, तो दावेदार की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें पीड़ित की उम्र, पीड़ित को असामान्य रूप से वंचित करना, उसके भविष्य के जीवन पर उसका प्रभाव शामिल है। यह देखते हुए कि दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु केवल 19 वर्ष थी और वह 45 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता से पीड़ित था, उन्होंने कहा

इस शीर्ष के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। रुपये की राशि। 1,00,000 / - दर्द और पीड़ा के लिए सम्मानित किया जाता है। [पैरा 93,96,98] [468-डी; 469-एफ; 469-एच]

2.10 रु. की राशि। 3,00,000 / - विवाह की संभावनाओं के नुकसान के लिए सम्मानित किया जाता है। [पैरा 103] [470-जी] 2.11 रुपये की राशि। 50,000 / - इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के नुकसान के लिए सम्मानित किया जाता है कि अपीलार्थी

दुर्घटना के समय उसकी आयु 19 वर्ष थी, और उसे लगी चोटों की प्रकृति और उसकी सीमा को भी देखते हुए

अक्षमता। [पैरा 111] [472-एच; 473-ए]

रुपये की राशि के बदले में सम्मानित किया गया। 9,26,800 / - जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस न्यायालय द्वारा दी गई राशि होगी - प्रतिवादी संख्या 1-बीमा कंपनी द्वारा डी. आर. ए. एम. v. के भीतर जमा किया गया।

दिव्य प्रबंधक, संयुक्त भारत बीमा कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR।पहले से जमा की गई राशि को समायोजित करने के बाद बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष होनी चाहिए। [पैरा 114] [473-एच; 474-ए-बी]

गोविंद यादव बनाम। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) 10 एस. सी. सी. 683; पप्पु देव यादव बनाम। नरेश कुमार और अन्य आकाशवाणी 2020 एस. सी. सी. 4424 [2020] एस. सी. आर. 968;

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम। दिल्ली परिवहन

निगम और एक अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 121: [2009] 5 एस. सी. आर. 1098; कीर्ति और एक अन्य बनाम। ओरिएंटल बीमा

कंपनी लिमिटेड (2021) 2 एस. सी. सी. 166-पर निर्भर था।

मास्टर आयुष वी. शाखा प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (2022) 7 एससीसी 738; आर. डी. हट्टंगडी बनाम कीट नियंत्रण (भारत) प्रा. लि.

और अन्य (1995) 1 एस. सी. सी. 551: [1995] 1 एस. सी. आर. 75; राज कुमार बनाम अजय कुमार और एक अन्य (2011) 1 एस. सी. सी. 343: [2010] 13 एस. सी. आर. 17 9; नागप्पा बनाम। गुरु दयाल सिंह और अन्य (2003) 2 एस. सी. सी. 274: [2002] 4 पूरक। एस. सी. आर. 499; संतोष देवी बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड

और अन्य (2012) 6 एस. सी. सी. 421: [2012] 3 एस. सी. आर. 1178; जगदीश बनाम मोहन और अन्य (2018) 4 एस. सी. सी. 571: [2018] 3 एससीआर 20; काजल बनाम। जगदीश चंद और अन्य (2020) 4 एस. सी. सी. 413: [2020] 3 एस. सी. आर. 622; संभागीय नियंत्रक, के. एस. आर. टी. सी. बनाम। महादेव शेट्टी और एक अन्य (2003) 7 एससीसी 197: [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 14; एंथनी उर्फ एंथनी स्वामी बनाम। प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (2020) 7 एस. सी. सी. 161: [2020] 5 एससीआर 860; सैयद सादिक और अन्य बनाम। संभागीय

प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2014) 2 एस. सी. सी. 735; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. अमित कुमार यादव और एक अन्य एफ. ए. ओ. नं. 1285 & 1489 2008 का निर्णय 23 मार्च, 2022 को लिया गया; संजय

कुमार बनाम. अशोक कुमार और एक अन्य (2014) 5 एस. सी. सी. 330; रमेश बनाम। करण सिंह और अन्न। 16 सितंबर, 2022 की सिविल अपील संख्या 6365; अरविंद कुमार मिश्रा बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2010) 10 एस. सी. सी. 254: [2010] 11 एस. सी. आर. 857; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम।

[2022] 8 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अन्य (2017) 16 एस. सी. सी. 680: [2017] 13 एससीआर 100; हेलेन सी. रेबेलो (श्रीमती) और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य (1999) 1 एस. सी. सी. 90: [1998] 1 पूरक। एससीआर 684; लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण मौर्य बनाम। संभागीय प्रबंधक, ओरिएंटल

बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (2011) 10 एस. सी. सी. 756; सिद्धेश्वर डुकरे का पुत्र अनंत बनाम। झन्नप्पा लमजाने के पुत्र प्रताप और 2018 की एक अन्य दीवानी अपील संख्या 8420 दिनांक 21 अगस्त, 2022; परमिंदर सिंह बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2019) 7 एस. सी. सी. 217 [2019] 8 एस. सी. आर. 986; निरूपम मोहन माथुर बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी (2013) 14 एस. सी. सी. 15: [2013] 8 एस. सी. आर. 15; नागराजप्पा बनाम। डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) 13 एस. सी. सी. 323 [2011] 6 एस. सी. आर. 70; मोहन सोनी बनाम। राम अवतार तोमर और अन्य (2012) 2 एस. सी. सी. 267: [2012] 2 एससीआर 921; संदीप खानुजा बनाम। अतुल दांडे और एक अन्य (2017) 3 एस. सी. सी. 351; केरल एस. आर. टी. सी. बनाम। सुसम्मा थॉमस (1994) 2 एस. सी. सी. 176; अभिमन्यु प्रताप सिंह बनाम। नमिता सेखों और एक अन्य

(2022) 8 एस. सी. सी. 489; संजय वर्मा बनाम हरियाणा रोडवेज (2014) 3 एस. सी. सी. 210 [2014] 1 एस. सी. आर. 924; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। गोपाली और अन्य (2012) 12 एस. सी. सी. 198 [2012] 6 एस. सी. आर. 834; निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान बनाम। प्रशांत एस. धनंक और अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 1: [2009] 9 एस. सी. आर. 313; विजयकुमार बाबूलाल मोदी बनाम गुजरात राज्य (हटाया गया) और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 7349; विरेंद्र कुमार बनाम। विजय कुमार और अन्य (2021) आईएलआर 3 सभी 272; इब्राहिम बनाम। राजू और अन्य (2011) 10 एस. सी. सी. 634-संदर्भित। एच. वेस्ट एंड सन लिमिटेड बनाम शेफर्ड 1958-65 ACJ 504 (HL, इंग्लैंड)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

2) 7 एस. सी. सी. 738

पैरा 13

4) 5 एससीसी 330

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

5] 1 एससीआर 75

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 SIDRAM v. द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR।

(2011) 10 एस. सी. सी. 683

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

[2010] 11 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[2010] 13 एस. सी. आर. 17

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[2017] 13 एससीआर 100

संदर्भित किया गया है

पैरा

19

संदर्भित किया गया है

[1998] 1 पूरक। एससीआर 684

पैरा

19

[2002] 4 पूरक। एससीआर 499

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

(2011) 10 एस. सी. सी. 756

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[2012] 3 एससीआर 1178

पैरा

33

संदर्भित किया गया है

[2018] 3 एससीआर 20

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

[2019] 8 एससीआर 986

पैरा

35

संदर्भित किया गया है

[2020] 3 एससीआर 622

संदर्भित किया गया है

पैरा

36

[2013] 8 एससीआर 15

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[2003] 2 पूरक। एससीआर 14

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[2020] 5 एससीआर 860

पैरा

42

संदर्भित किया गया है

[2011] 6 एससीआर 70

संदर्भित किया गया है

पैरा

42

(2014) 2 एससीसी 735

संदर्भित किया गया है

पैरा

43,

[2012] 2 एससीआर 921

संदर्भित किया गया है

पैरा

44

(2017) 3 एस. सी. सी. 351

संदर्भित किया गया है

पैरा

45

[2009] 5 एससीआर 1098

उस पर भरोसा करें

पैरा

53

(1994) 2 एससीसी 176

संदर्भित किया गया है

पैरा

53

(2021) 2 एससीसी 166

उस पर भरोसा करें

पैरा

59

(2022) 8 एस. सी. सी. 489

संदर्भित किया गया है

पैरा

67

[2014] 1 एससीआर 924

संदर्भित किया गया है

पैरा

71

[2012] 6 एससीआर 834

पैरा

80

संदर्भित किया गया है

[2009] 9 एससीआर 313

संदर्भित किया गया है

पैरा

95

(2011) 10 एस. सी. सी. 634

संदर्भित किया गया है

पैरा

101

[2020] एससीआर 968

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8510

एम. एफ. ए. No.100867/2014 (एम. वी.) में धारवाड़ पीठ में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से। आनंद संजय एम. नुली, मेसर्स नुली एंड नुली के लिए धर्म सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मैबम नबघनश्यम सिंह, शक्ति के. पटनायक, संजीव वर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय (धारवाड़ पीठ) द्वारा पारित 25 अप्रैल, 2018 के विवादित अंतिम फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है। श्री सिद्दु महादेव भोसले और अन्र "। अपीलार्थी-दावेदार को शामिल करने वाली मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजे को और बढ़ाने के लिए विभिन्न कानूनी आधारों और तर्कों का आग्रह करते हुए, जिसमें उच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाया है,

याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ विभिन्न शीर्ष। 3. मामले के संक्षिप्त तथ्य नीचे दिए गए हैं। अपीलार्थी दावेदार को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं जो हुई

18.07.2012 , जब वे कुलगोड-गोकक मार्ग के बाईं ओर चल रहे थे। जबकि दावेदार लक्ष्मीश्वर क्रॉसिंग के पास था, एक माल वाहन जिसका पंजीकरण संख्या। के. ए.-23/9426, जल्दबाजी और लापरवाही से चलाए जाने पर अपीलार्थी-दावेदार पर हमला किया गया। अपीलार्थी

दावेदार को एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और 18.07.2012 से 06.08.2012 तक एक इनडोर रोगी के रूप में इलाज किया गया। दुर्घटना के कारण, अपीलार्थी दावेदार को 45 प्रतिशत तक स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा। अपीलार्थी-दावेदार दुर्घटना के कारण पैराप्लेजिया से पीड़ित था। अपीलार्थी-दावेदार जिले के विभिन्न गाँवों में बर्तन बेचने का व्यवसाय करता था।

4. अपीलार्थी-दावेदार ने बेलगाम SIDRAM v. में प्रथम अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल डिवीजन न्यायाधीश और MACT, बेलगाम के समक्ष दावा याचिका दायर की।

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जिसे 2012 की एम. वी. सी. संख्या 1786 के रूप में पंजीकृत किया गया था। न्यायाधिकरण के समक्ष, अपीलार्थी-दावेदार ने स्वयं (पीडब्लू-1) की जांच की और डॉ. अनिल बी. पाटिल से उनके दावे के संबंध में पीडब्लू-2 के रूप में भी पूछताछ की और विभिन्न अन्य दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड में लिया गया।

5. न्यायाधिकरण ने माना कि दुर्घटना चकत्ते के कारण हुई थी

और उल्लंघन करने वाले वाहन को लापरवाही से चलाना जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को चोटें आईं और उसे आर्थिक के साथ-साथ गैर-आर्थिक नुकसान भी दिया गया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी निम्नानुसार मुआवजे का हकदार थाः

दर्द और पीड़ा की ओर

रु

. 40,000 /

निर्धारित अवधि के दौरान कमाई का नुकसान

रु

. 4,000 /

:

अक्षमता के कारण कमाई का नुकसान

रु

. 3,24,000 /

:

चिकित्सा खर्चों की ओर

रु

. 1,50,000 /

:

परिवहन, विशेष आहार आदि।

रु

. 20,000 /

:

जीवन में सुविधाओं का नुकसान

रु

. 30,000 /

:

विवाह की संभावनाओं की ओर

रु

. 20,000 /

भविष्य के चिकित्सा खर्चों की ओर

रु

. 25,000 /

:

कुल

रु

. 6,13,000 /

6. न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने एक याचिका दायर की

उच्च न्यायालय में इस आधार पर मुआवजे में वृद्धि का अनुरोध करते हुए अपील की गई कि न्यायाधिकरण को वृद्धि का आदेश देना चाहिए था

प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर क्षतिपूर्ति। के विवाद

अपीलार्थी पर बाद में विस्तार से विचार किया जाएगा।

7. उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। 9,26,800 / - .

उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में कहाः

" 9. न्यायाधिकरण ने दावेदार की आय को लिया है रु. 5,000 / - जो निचले पाइप पर है। दुर्घटना यह है कि

वर्ष 2012 और दावेदार की अनुमानित आय हो सकती है

की प्रकृति को देखते हुए 7,000/- रुपये प्रति माह पर लिया गया

उसके द्वारा चलाया जाने वाला व्यवसाय।

10. इस प्रकार, दावेदार के तहत मुआवजे का हकदार होगा

भविष्य की कमाई के नुकसान का शीर्ष इस प्रकार हैः रु. 7,000/- x 12

x 18 x 40% = रु. 6,04,800/।

11. दर्द के सिर के तहत दिया गया मुआवजा और

पीड़ा, चिकित्सा खर्च, परिवहन, विशेष आहार, आदि। जीवन और विवाह की संभावनाओं में सुविधाओं का नुकसान उचित और उचित है।

उचित और समान परेशान नहीं होता है। जिस दावेदार को गंभीर चोट लगी होगी, उसे इस दौरान कमाई का नुकसान उठाना पड़ा होगा।

रखी हुई। के शीर्ष के तहत प्रदान किया गया मुआवजा

दर्द और पीड़ा, चिकित्सा खर्च, परिवहन, विशेष आहार, आदि, जीवन में सुविधाओं का नुकसान और विवाह की संभावनाएँ

न्यायपूर्ण और उचित और समान रूप से परेशान नहीं होता है। दावेदार जो

गंभीर चोट लगने पर कमाई का नुकसान हुआ होगा

न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए निर्धारित अवधि के दौरान।

इसलिए, वह Rs.42,000/- (रु। 7,000 x 6) . दावेदार आगे मुकदमेबाजी का हकदार होगा।

रुपये का खर्च। 20,000 / - .

12. भविष्य के चिकित्सा खर्चों के संबंध में, दावेदार ने

भविष्य में आवश्यक उपचार की प्रकृति के बारे में नहीं बताया गया है। इसलिए, वह सिर पर किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा

भविष्य के चिकित्सा खर्च। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि दावेदार किसी भी सर्जरी के लिए कोई खर्च करता है या

मोटर दुर्घटना और यदि वह बीमाकर्ता के समक्ष यह साबित करता है, बीमाकर्ता उसी की क्षतिपूर्ति करेगा।

13. तदनुसार, दावेदार कुल के लिए हकदार है

रुपये का मुआवजा. 9,26,800/- रुपये के मुकाबले 6,13,000 / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया।

14. अतः दावेदार कुल मुआवजे का हकदार होगा।

निम्नलिखित शीर्षः

एस. आई. कण

राशि

नहीं।

दर्द और पीड़ा

रु. 40,000 /

1 .

रख-रखाव के दौरान कमाई का नुकसान

2 .

Rs.42,000 /

छह महीने की अवधि

अक्षमता के कारण कमाई का नुकसान

3 .

रु. 6,04,800 /

4. चिकित्सा खर्चों की ओर

रु. 1,50,000 /

5. परिवहन, विशेष आहार आदि।

रु. 20,000 /

6. जीवन में सुविधाओं का नुकसान

रु.

30,000 / SIDRAM v. द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

7 .

विवाह की संभावनाएँ

रु. 20,000 /

मुकदमेबाजी के खर्च

रु. 20,000 /

8 .

रु. 9,26,800 /

कुल

तदनुसार, मुआवजे में वृद्धि होगी।

से रु. 3,13,800 / - , जिस पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

याचिका की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक प्रति वर्ष।

8. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं,

अपीलार्थी ने मुआवजे को और बढ़ाने के समर्थन में विभिन्न दलीलों का आग्रह करते हुए इस न्यायालय में अपील की है।

अपीलार्थी के स्वयं के बारे में निवेदन

9. श्री आनंद संजय एम. नुली, विद्वान वकील

अपीलार्थी ने लिखित रूप में अपनी दलीलें दाखिल कीं। प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

10. दुर्घटना 18.07.2012 पर हुई थी जब अपीलार्थी

दावेदार कुलगोड-गोकक रोड, कर्नाटक के बाईं ओर चल रहा था जब एक माल वाहन नं। के. ए.-23/9426 ने जल्दबाजी और लापरवाही से चलाए जाने के दौरान अपीलार्थी-दावेदार के खिलाफ हमला किया। इसके बदले में, अपीलार्थी-दावेदार को गंभीर चोटें आईं। अपीलार्थी-दावेदार को लेक व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था

18.07.2012 06.08.2012 तक पहुँच गया और 19 दिनों के लिए एक इनडोर रोगी था। उनके चिकित्सा खर्चों के लिए रुपये की राशि खर्च की गई थी।

यह देखा गया कि डॉक्टर द्वारा प्रमाणित पूरे शरीर के 45 प्रतिशत की स्थायी शारीरिक अक्षमता थी और इसके अलावा 100% की कार्यात्मक अक्षमता थी क्योंकि अपीलार्थी-दावेदार अपने व्यवसाय को जारी रखने में असमर्थ है और दुर्घटना के बदले में कोई काम खोजने में असमर्थ है।

11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता-दावेदार स्वस्थ, स्वस्थ था

और दुर्घटना के समय उनकी आयु केवल 19 वर्ष थी। अपीलार्थी-दावेदार ने व्यथित होने के कारण मुआवजे की मांग की थी रु. 25,00,000 / - न्यायाधिकरण के समक्ष एम. वाई. सी. No.1786/20 12 दाखिल करके। न्यायाधिकरण ने 6 प्रतिशत ब्याज के साथ रु. <आई. डी. 1/- की मामूली राशि का आदेश दिया था। पीड़ित होते हुए, अपीलकर्ता-दावेदार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (धारवाड़ पीठ) के समक्ष एम. एफ. ए. No.100867/2014 (एम. वी.) दायर करने के लिए आगे बढ़े। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश के माध्यम से अपीलार्थी-दावेदार को देय मुआवजे को केवल मामूली रूप से बढ़ाकर रु. 6,13,000/- से रु. 9,26,800/- कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-दावेदार की आय को केवल रु। माना था। 7,000 / - रुपये की तुलना में।

9,000 / - जिसे अपीलार्थी-दावेदार अपने बर्तन व्यवसाय के माध्यम से कमा रहा था। शारीरिक अक्षमता को केवल 40 प्रतिशत के रूप में लिया गया था, जबकि डॉक्टर की राय 45 प्रतिशत थी। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी-दावेदार को मुआवजे के रूप में दिए गए शीर्षों को दिखाने वाली तालिका इस प्रकार है:

प्रतिभागी

हाई

एमएसीटी (आईएन)

एस. एल.

अ

मौन्ट

न्यायालय

दा

वा किया

नहीं।

आर. एस.)

(आर. एस. में)

दर्द और पीड़ा

1,0

0,000 /

40,000 /

1 .

40,000 /

900

0

42, 000/के लिए कमाई का नुकसान।

4,000 /

x 6

2 .

| |

54,0

00

6 महीनों

कमाई का नुकसान। 6,04,800 /

3,24,000 /

900

0 x 12 x 18

आइं

अक्षमता के कारण

40 %

एक्स

7,77

,600 /

चिकित्सा की ओर। 1,50,000 /

4 .

1,50,000 /

2,00

,000 /

खर्च

20,000 /

50,0

00 /

20,000 /

5 .

परिवहन

सुविधाओं का नुकसान 30,000 /

30,000 /

50,0

00 /

6 .

जीवन में

विवाह की संभावनाएँ 20,000 /

1,0

0,000 /

20,000 /

7 .

मुकदमे का शुल्क 20,000/-

सम्मानित नहीं किया गया।

50,0

00 /

8 .

भविष्य

चिकित्सकीय

25,000 /

2,50

,000 /

9 .

नहीं।

सम्मानित किया गया

खर्च

परिचर शुल्क

नहीं।

4500 x 12 x 18 से

सम्मानित नहीं किया गया

10 .

सम्मानित किया गया

=

9,72,000 /

6,13,000 /

9,26,800 /

26,0

3,600 /

कुल

12. यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों

"भविष्य की संभावनाएँ" शीर्षक के तहत उचित रूप से मुआवजा प्रदान करने/देने में विफल रहे हैं जैसा कि इस न्यायालय द्वारा केवल वेतन लेकर अनिवार्य किया गया है।

अपीलार्थी-दावेदार का रु। 7,000 / - और रुपये नहीं। 9,000 / - . इसे प्रस्तुत किया जाता है। यह कि डॉ. अनिल बी. पाटिल (पीडब्लू-2) द्वारा विशेष रूप से कहा गया था कि अपीलार्थी को भविष्य में चिकित्सा खर्च के लिए रु। 2,50,000 / - . हालांकि, न्यायाधिकरण ने केवल एक करोड़ रुपये की राशि का फैसला सुनाया। 25,000 / रुपये की तुलना में भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए। 2,50,000 / - जैसा कि पीडब्लू-2 ने कहा है। उच्च न्यायालय ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिवहन के संबंध में, यह होना चाहिए

इस बात की सराहना की कि दुर्घटना कुलगोड-गोकक राजमार्ग पर हुई और अपीलार्थी को बाद में इलाज के लिए बेलगाम स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए, हस्तांतरण के शीर्ष के तहत मुआवजा ऊपरी पक्ष में दिया जाना चाहिए क्योंकि अपीलार्थी पूरी तरह से अक्षम था और SIDRAM v.

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय संजय कुमार बनाम. अशोक कुमार और एक अन्य, (2014) 5 एस. सी. सी. 330, को पुरस्कार देकर खुशी हुई। जहाँ दावेदार केवल 3,500/- रुपये प्रति माह की राशि कमा रहा था, वहाँ विवाह की संभावनाओं के नुकसान के लिए Rs.75,000/- तक का मुआवजा। इसलिए, एक लाख रुपये तक का मुआवजा देना उचित होगा। 1,00,000 / - वर्तमान मामले में अपीलार्थी-दावेदार से विवाह की संभावनाओं के नुकसान के लिए।

15. अपीलार्थी दुर्घटना के कारण पैराप्लेजिया से पीड़ित होता है और उसे पूरे दिन एक परिचारक की आवश्यकता होती है और इसलिए, परिचर

4, 500/- रुपये प्रति माह का शुल्क अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए, जिस पर न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी खड़ा होने, चलने या बैठने में असमर्थ है और अपने शरीर को मोड़ने या कोई भार उठाने में असमर्थ है। यहाँ यह इंगित करना उचित है कि अपीलार्थी अपनी गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप इस मामले में काम नहीं कर पाएगा -

जिस तरह से वह दुर्घटना से पहले करता था और इसलिए, अपीलार्थी की कार्यात्मक अक्षमता को 100% माना जाना चाहिए।

16. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी का संचालन किया गया था

दो बार और दुर्घटना के बदले में बहुत दर्द और पीड़ा झेल चुके हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा है

लगी चोटों की गंभीर प्रकृति। रमेश बनाम में यह न्यायालय। करण सिंह और अन्र। 16 सितंबर, 2022 की सिविल अपील संख्या 6365 में 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की बात कही गई थी। 4,00,000 / - उक्त मामले में दावेदार को लगी चोटों की गंभीर प्रकृति पर ध्यान देने के बाद और यह ध्यान में रखते हुए कि उसका 5 बार ऑपरेशन किया गया था। उसी के प्रकाश में, यह उचित होगा

रुपये का मुआवजा देने के लिए। 1,00,000 / - दर्द और पीड़ा के सिर के नीचे अपीलार्थी को।

17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय आर. डी. हट्टंगडी बनाम. कीट।

कंट्रोल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड और अन्य, (1995) 1 एस. सी. सी. 551, (पैरा-9) ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चोट के मामलों में, मुआवजा होना चाहिए आर्थिक क्षति के रूप में मूल्यांकन किया जाता है अर्थात दावेदार द्वारा चोट और विशेष क्षति के लिए की गई लागत जिसमें मानसिक [2022] 8 एस. सी. आर. के लिए क्षति शामिल है।

और शारीरिक आघात, सुविधाओं का नुकसान, जीवन की उम्मीद का नुकसान और असुविधा। यह देखा जा सकता है कि संचयी रूप से, केवल एक मामूली

रु. की राशि। 90,000 / - इसके लिए अपीलार्थी को पुरस्कार दिया गया है। यह सराहना की जानी चाहिए कि अपीलार्थी दुर्घटना के परिणामस्वरूप शादी नहीं कर पाएगा और जीवन भर दर्द और पीड़ा के साथ जीने के लिए मजबूर होगा क्योंकि उसे अपनी देखभाल के लिए एक परिचारक की भी आवश्यकता होगी। यह देखा जा सकता है कि यह विशेष रूप से कहा गया है कि अपीलार्थी पैर मोड़कर बैठने या बैठने में असमर्थ है और विकलांग प्रमाण पत्र के अनुसार खड़ा होने और चलने में असमर्थ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी-दावेदार को सुविधाओं के नुकसान के गैर-आर्थिक शीर्षों के तहत प्रत्येक को Rs.50,000/- का मुआवजा देना उचित होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमेबाजी के खर्चों के संबंध में, अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण से इस न्यायालय तक मामले को चुनौती दी है, उसी के आलोक में, निर्णय देना उचित होगा।

अपीलार्थी को Rs.50,000/- का मुकदमेबाजी खर्च।

18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय गोविंद यादव बनाम. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2011) 10 एससीसी 683, अरविंद कुमार मिश्रा बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2010) 10 एस. सी. सी. 254, और राज कुमार बनाम। अजय कुमार और अन्य, (2011) 1 एस. सी. सी. 343, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न केवल शारीरिक चोट और उपचार के लिए, बल्कि कमाई के नुकसान और सामान्य जीवन जीने में उनकी असमर्थता के लिए भी पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सुविधाओं का आनंद लें, जिनका उन्होंने आनंद लिया होगा, लेकिन दुर्घटना के कारण होने वाली अक्षमता के लिए।

परिवहन निगम और अन्य, (1999) 1 एस. सी. सी. 90 (पैरा-36), कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'अधिनियम') एक लाभकारी विधान है और इसलिए न्यायालयों का उद्देश्य घायल/मृत व्यक्ति की सहायता करना होना चाहिए। 20. यहाँ यह इंगित करना उचित है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी-दावेदार का दावा केवल रु। 25,00,000 / - . हालांकि यह

प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय नागप्पा बनाम में। गुरुदयाळ सिंह और अन्य, SIDRAM v.

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(2003) 2 एस. सी. सी. 274 और लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण मौर्य बनाम। डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2011) 10 एस. सी. सी. 756 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बात का कोई प्रतिबंध नहीं है कि न्यायाधिकरण/न्यायालय दावे से अधिक मुआवजे की राशि नहीं दे सकता है।

राशि।

21. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और मुआवजे की राशि को तदनुसार बढ़ाया जा सकता है।

स्वयं जवाबदेह के बारे में सुझाव

नहीं। 1 - बीमा कंपनी

22. बीमा कंपनी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री मैबम नबघनश्यम सिंह ने भी लिखित रूप में अपनी दलीलें प्रस्तुत की हैं। वही नीचे दिए गए हैं: 23. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उस विवादित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसके लिए उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी

उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद और एम. ए. सी. टी. पुरस्कार पर विचार करने के बाद भी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे के अनुसार पुरस्कार को उचित रूप से बढ़ा दिया था क्योंकि वर्तमान याचिका में राशि में और वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। 24. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की उचित सराहना की है और विचार करने के बाद पूरे शरीर के लिए 40 प्रतिशत अक्षमता ली है

चोट लगने की प्रकृति और डॉक्टर का इलाज करने का साक्ष्य, जो न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए गए प्रमाण से 10 प्रतिशत अधिक है। उच्च न्यायालय ने सिद्धेश्वर डुकरे बनाम के पुत्र अनंत मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार भविष्य की कमाई का सही आकलन किया है। 21 अगस्त, 2022 को 2018 की सिविल अपील संख्या 8420 में झन्नप्पा लामजाने के पुत्र प्रताप और एक अन्य। जहां दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता होती है, वहां भविष्य की कमाई के नुकसान की गणना पैरा संख्या में उपरोक्त निर्णय में की गई है। 7.2 . इसलिए, इस शीर्ष के तहत वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है जैसा कि वर्तमान याचिका में दावा किया गया है।

25. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ने भविष्य की आय के नुकसान के लिए मुआवजे में वृद्धि का गलत दावा किया है। नियत अवधि के दौरान। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने [2022] 8 एस. सी. आर. के नुकसान के लिए फैसला सुनाया है।

छह महीने के लिए निर्धारित अवधि के दौरान कमाई। जबकि इस न्यायालय द्वारा अनंत बनाम में निर्धारित कानून के अनुसार। प्रताप (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दावेदार आय के वास्तविक नुकसान के दावे में सफल नहीं हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा पैरा सं. 7.3 में यह मत व्यक्त किया गया था कि "भविष्य की आय के नुकसान का अनुदान किसी भी आगे की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करता है जहां

आय का नुकसान हुआ। आय का वास्तविक नुकसान उस महीने के लिए दिया जा सकता है जिसमें दुर्घटना हुई थी। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने इसके बजाय इस शीर्ष के तहत उच्च पक्ष को वास्तविक हानि आय के लिए अधिनिर्णय दिया था, जो केवल उस महीने के लिए दिया जाना चाहिए था जिसमें दुर्घटना हुई थी।

26. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर किसी भी साक्ष्य के बिना अपीलकर्ता कथित रूप से दावा कर रहा है कि दावेदार को 100% अक्षमता थी। यहां यह प्रस्तुत करना उचित है कि अपीलकर्ता न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या यहां तक कि इस न्यायालय में यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने में बुरी तरह विफल रहा था कि दावेदार को 100% अक्षमता थी। दावेदार की अक्षमता के संबंध में अपीलार्थी द्वारा जिस एकमात्र दस्तावेज पर भरोसा किया गया है, वह है अक्षमता प्रमाण पत्र जो दर्शाता है कि पूरे शरीर में 45 प्रतिशत की कुल स्थायी शारीरिक अक्षमता है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए किसी भी दस्तावेज़ से यह नहीं पता चलता है कि दावेदार को 100% अक्षमता है। इसलिए, 100% की अक्षमता के आधार पर मुआवजे में वृद्धि के लिए अपीलार्थी द्वारा किया गया तर्क और कुछ नहीं बल्कि इस न्यायालय की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दावेदार की इच्छा है ताकि पुरस्कार में वृद्धि के रूप में और राशि प्रदान की जा सके। द.

27. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनी की ओर से पेश विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि अपील में कोई योग्यता नहीं है मूल दावेदार द्वारा दायर, उसी को खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

28. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी-दावेदार ने मुआवजे की राशि को और बढ़ाने के लिए कोई मामला बनाया है।

कानून की स्थिति

29. अदालत द्वारा मुआवजे का निर्धारण करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक बहुत ही कठिन कार्य है और यह कभी भी एक सटीक विज्ञान नहीं हो सकता है।

परफेक्ट SIDRAM v. द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

क्षतिपूर्ति शायद ही संभव है, विशेष रूप से चोट और अक्षमता के दावों में।

जैसा कि एच. वेस्ट एंड सन लिमिटेड बनाम में सही बताया गया है। शेफर्ड, 1958-65 ACJ 504 (HL, इंग्लैंड):

..... पैसा एक भौतिक ढांचे को नवीनीकृत नहीं कर सकता है जो

चोट लगी "।

30. मोटर वाहन क्षतिपूर्ति दावों का आकलन करने में इस अदालत द्वारा लगातार पालन किया जाने वाला सिद्धांत, पीड़ित को सुविधाओं के नुकसान और अन्य भुगतानों के लिए अन्य क्षतिपूर्ति निर्देशों के साथ दुर्घटना से पहले की स्थिति के करीब रखना है। ये जनरल कई निर्णयों में सिद्धांतों को बताया और दोहराया गया है।

[गोविंद यादव बनाम। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2011) 10 एस. सी. सी. 683।]

31. यह अब कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि मोटर-दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाली स्थायी अक्षमता के मामलों में भी,

दावेदार भविष्य में आय के नुकसान के लिए मुआवजे के अलावा भविष्य की संभावनाओं के लिए भी राशि की मांग कर सकता है। हमें विभिन्न न्यायाधिकरणों के कई आदेश मिले हैं और दुर्भाग्य से विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पुष्टि की गई है, यह विचार रखते हुए कि दावेदार दुर्घटना के मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे का हकदार नहीं है, जिसमें गंभीर चोटें शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता होती है। यह कानून की सही स्थिति नहीं है। दुर्घटना के मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे की संभावना को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है जिसमें गंभीर चोटें होती हैं जिसके परिणामस्वरूप स्थायी चोटें होती हैं।

क्षतिपूर्ति कानून द्वारा ज्ञात तरीका है, जिसके द्वारा समाज उन लोगों को कुछ हद तक क्षतिपूर्ति का आश्वासन देता है जो जीवित रहते हैं, और पीड़ित जो जीवित रहते हैं। उनके जीवन का सामना करना पड़ता है।

33. संतोष देवी बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2012) 6 एस. सी. सी. 421, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 14. सरला में फैसले के पैराग्राफ 24 में किए गए अवलोकन के लिए किसी भी तर्क को समझना हमें बेहद मुश्किल लगता है।

वर्मा मामला [सरला वर्मा बनाम। डी. टी. सी., (2009) 6 एस. सी. सी. 121] जहाँ मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था।

वार्षिक वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना, न्यायालय आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय लेंगे और इस नियम से अलग केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। हमारे देश में इस दृष्टिकोण से, यह कहना अनुचित होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी या कुल परिलब्धि/आय जो स्व-नियोजित है या जो वार्षिक वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना एक निश्चित वेतन पर कार्यरत है, उसके पूरे जीवन में समान रहेगी।

15. जीवन यापन की लागत में वृद्धि सभी को प्रभावित करती है। यह अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं करता है। वास्तव में, कीमतों में वृद्धि का प्रभाव जो सीधे तौर पर जीवन यापन की लागत को प्रभावित करता है, अमीरों पर न्यूनतम और उन लोगों पर अधिकतम होता है जो स्व-नियोजित हैं या जिन्हें निश्चित आय/परिलब्धि मिलती है। वे सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं। इसलिए,

वे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आवश्यक अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। 16. केंद्र और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों/उपकरणों के तहत कार्यरत लोगों के वेतन में समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि बढ़ती कीमतों के खिलाफ राहत प्रदान की जा सके और मृतक कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के वेतन में भी वृद्धि हुई है।

कई गुना। लगभग दो दशक पहले तक, कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन पांच अंकों में होगा और उच्च स्तर के कर्मचारियों का कुल वेतन एक लाख रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के वेतन में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रखा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन लोगों की आय में वृद्धि जो स्व-नियोजित हैं और यहां तक कि दैनिक आधार पर, मासिक आधार पर या मौसमी आधार पर भी लगे हुए हैं। हम डी. आर. ए. एम. बनाम का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं।

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारत[सरांस कं. लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

तथ्य यह है कि उच्च द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से जीवन यापन की लागत, बाद की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति

समय-समय पर उनके श्रम की लागत में वृद्धि होती है। इस संदर्भ में, एक दर्जी का उदाहरण देना उपयोगी हो सकता है जो अपनी कमाई करता है।

कपड़ों की सिलाई करके आजीविका। यदि रहन-सहन की लागत बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो उनके लिए अपने श्रम की लागत बढ़ना स्वाभाविक है। नाई, लोहार, मोची जैसे सामान्य कुशल और अकुशल श्रमिकों के मामले भी ऐसे ही होंगे।

मिस्त्री आदि।

18. इसलिए, हम यह नहीं सोचते कि बनाते समय

सरला वर्मा के पैरा 24 की अंतिम तीन पंक्तियों में अवलोकन [सरला वर्मा बनाम। डी. टी. सी., (2009) 6 एस. सी. सी. 121] निर्णय, न्यायालय ने एक पूर्ण नियम निर्धारित करने का इरादा किया था कि

ऐसे व्यक्ति की आय में कोई वृद्धि नहीं जो स्व-नियोजित है या जिसे निश्चित मजदूरी दी जाती है। बल्कि, यह उचित होगा कि

मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो स्व-नियोजित है या निश्चित मजदूरी पर लगा हुआ है, उसे भी समय के साथ अपनी कुल आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी और यदि वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो गणना के लिए वही सूत्र लागू किया जाना चाहिए।

मुआवजे की राशि।

34. जगदीश वी. मोहन और अन्य, (2018) 4 एस. सी. सी. 571, एन, एक बढ़ई, को स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा, और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान सहित उनके दावे पर एक न्यायाधीश पीठ द्वारा विचार किया गया, जिसमें संयोग से, राष्ट्रीय बीमा कंपनी (उपरोक्त) का नेतृत्व करने वाले न्यायाधीश शामिल थे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 13. प्रणय सेठी में संविधान पीठ के फैसले में [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड v. प्रणय सेठी, (2017) 16 एस. सी. सी. 680], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भविष्य की संभावनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए जिनके पास स्थायी नौकरी है और जो स्व-नियोजित व्यक्तियों तक विस्तारित होंगे। स्व-नियोजित व्यक्ति के मामले में, 40 प्रतिशत की वृद्धि

जहां दुर्घटना के समय पीड़ित की आयु 40 वर्ष से कम हो, वहां स्थापित आय की जानी चाहिए। अतः इसमें

वर्तमान मामले में, अपीलार्थी एक का हकदार होगा

रुपये की वृद्धि। 2400 भविष्य की संभावनाओं के नुकसान की ओर।

14. वर्तमान मामले में गणना करते समय, न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि अपीलार्थी को [2022] 8 एस. सी. आर. का सामना करना पड़ा है।

गंभीर अक्षमता जिसमें उसे अपने दोनों हाथों के उपयोग की हानि का सामना करना पड़ा हो। शारीरिक गतिविधियों में लगे व्यक्ति के लिए, यह समझने के लिए कल्पना के विस्तार की आवश्यकता नहीं है कि हाथों का नुकसान अर्जित करने की क्षमता का पूर्ण अभाव है। कम से कम इस मामले के तथ्यों में कुछ भी नहीं-खोए हुए हाथों को बहाल कर सकता है। लेकिन मुआवजे के उपाय से व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए कानून के एक वास्तविक प्रयास को प्रतिबिंबित करना चाहिए। मुआवजे का हमारा पैमाना इतना खराब नहीं होना चाहिए कि कोई यह सवाल करे कि क्या हमारा कानून मानव जीवन को महत्व देता है। यदि ऐसा होता है, जैसा कि यह होना चाहिए, तो इसे नुकसान के दर्द और पीड़ा के आघात के लिए एक यथार्थवादी प्रतिदान प्रदान करना चाहिए। के पुरस्कार

क्षतिपूर्ति कानून की देनदारी नहीं है। अधिकारों के विमर्श में, वे कानून के तहत अधिकारों का गठन करते हैं। कानून के बारे में हमारी बातचीत को व्यक्ति के पैतृक अधीनता से मानव गरिमा के लिए आंतरिक रूप से लागू करने योग्य अधिकारों के दावे की ओर बदलना चाहिए।

15. न्यायाधिकरण ने नोट किया है कि अपीलार्थी परिचारक की सहायता के बिना खाने या शौचालय जाने में भी असमर्थ है। इस पृष्ठभूमि में, 90 प्रतिशत पर अक्षमता की गणना करना न्याय से इनकार होगा। अक्षमता वास्तव में कुल है। अपीलार्थी की आयु को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने 18 का गुणक लागू किया। इन परिस्थितियों में, भविष्य की संभावनाओं सहित आय के नुकसान के कारण अपीलार्थी को देय मुआवजा रुपये 18,14,400 होगा। इस राशि के अलावा, अपीलार्थी को दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के कारण 2 लाख रुपये की राशि दी जानी चाहिए। चिकित्सा खर्च (98,908 रुपये) के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि; अतिरिक्त पोषण (25,000 रुपये) और परिचर के खर्च (1 लाख रुपये) के लिए

दावा याचिका दायर करने की तारीख से मुआवजे पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज। क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है और उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता, मालिक और चालक को संयुक्त रूप से और

कई बार जिसकी पुष्टि की जाती है। राशि डी. आर. ए. एम. v. जमा की जाएगी।

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारतआईएसयूआरएएनसीई कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष

और उचित होने पर अपीलार्थी को भुगतान किया जाएगा।

पहचान "।

35. परमिंदर सिंह बनाम का मामला। न्यू इंडिया एस्योरेंस

पैनी लिमिटेड और अन्य, (2019) 7 एस. सी. सी. 217, में एक दुर्घटना एन शामिल थी, जिसकी हेमिप्लेजिया (शरीर के आधे हिस्से की कमजोरी) के लिए सर्जरी हुई थी।बाईं ओर ody; इस मामले में, एक दुर्घटना के कारण)। के अनुसार

चिकित्सक का इलाज करते हुए, पीड़ित मजदूर के रूप में काम नहीं कर सकता था या प्रदर्शन नहीं कर सकता था

कृषि कार्य, या चालक के रूप में काम करें (जैसा कि वे करते थे);

उनकी अक्षमता 75 प्रतिशत और स्थायी प्रकृति की थी। टी ने माना किः

" 5.1 . हालाँकि, अपीलार्थी ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया है

दुर्घटना। 5.2 . नियोक्ता द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर

अपीलार्थी, हम स्वीकार करते हैं कि अपीलार्थी की आय रु।

10,000 पी. एम. दुर्घटना के समय, के उद्देश्य के लिए

उसे देय मुआवजे की गणना करना।

5.3 . अपीलार्थी की आय को 10,000 रुपये प्रति माह लेते हुए,

उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त 50 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाओं के साथ, अपीलार्थी की कुल आय 15,000 रुपये होगी।

पी. एम

5.4 . अपीलार्थी उस समय 23 वर्ष का था जब दुर्घटना हो गई। 18 के गुणक को लागू करते हुए, का नुकसान

अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय से लाभ होगा -

15, 000 रुपये × 12 × 18 = रुपये 32,40,000।

****

**

***

***

***

5.7 . के. सुरेश बनाम. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2012) 12

एस. सी. सी. 274, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः (एस. सी. सी पी. 279, पैरा 10)

" 10. यह कहना उल्लेखनीय है कि एक निर्णय

प्राधिकरण, मुआवजे की मात्रा निर्धारित करते समय, घायल व्यक्ति की पीड़ा को ध्यान में रखना है

जिसमें पूर्ण जीवन जीने में उनकी असमर्थता शामिल होगी, उनका

सामान्य सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता जो वह करेगा

आनंद लिया है लेकिन चोटों और [2022] 8 एस. सी. आर. के रूप में अर्जित करने की उनकी क्षमता के लिए।

जितना वह कमाता था या कमा सकता था। इसलिए,

क्षतिपूर्ति की गणना करते समय का दृष्टिकोण

न्यायाधिकरण या न्यायालय को व्यापक होना चाहिए। अनावश्यक है।

कहो, इसमें कुछ अनुमान शामिल होंगे क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है

कोई गणितीय सटीकता या एक सटीक सूत्र

मुआवजे का मौलिक मानदंड "न्यायसंगत" मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए।

**

*

**

5.9 . वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि यह नहीं है

अपीलार्थी के लिए चालक के रूप में नियोजित होना संभव है, या

किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम, या किसी भी कृषि में संलग्न होना।

ऑपरेशन जो भी हो, उसके निर्वाह के लिए। ऐसे में

परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने सही आकलन किया है 100% पर अपीलार्थी की कार्यात्मक अक्षमता जहाँ तक उसकी हानि है

अर्जित करने की क्षमता का संबंध है। अतः अपीलार्थी है,

अर्जित करने की क्षमता के नुकसान के लिए रुपये 32,40,000 से सम्मानित किया गया।

36. फिर भी बाद में और निकट अतीत में, एक दुर्घटना के मामले में, जो दुखद है

यह एक युवा लड़की को जीवन भर पैराप्लेजिया की स्थिति में जगाता है, यह अदालत,

जाल वी। जगदीश चंद और अन्य, (2020) 4 एस. सी. सी. 413 ने दोहराया

आय के नुकसान के अलावा, भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा

इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और देखा जाना चाहिए किः

" 14. कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। निर्मला देवी

[(1979) 4 एससीसी 365: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 996: 1980 एसीजे 55], इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एस. सी. सी पी. 366, पैरा 2)

" 2. ..... मात्रा का निर्धारण उदार होना चाहिए,

मामूली नहीं क्योंकि कानून जीवन और अंगों को एक स्वतंत्र रूप में महत्व देता है। उदार पैमाने पर देश "।

15. आर. डी. हट्टंगडी बनाम। कीट नियंत्रण (भारत) (पी) लिमिटेड [(1995)

1 एससीसी 551: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 250], विभिन्न से संबंधित

चोट के मामलों में मुआवजे के प्रमुख इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

(एस. सी. सी पी. 556, पैरा 9)

" 9. मोटे तौर पर राशि तय करते समय

दुर्घटना के पीड़ित को देय मुआवजा,

नुकसान का आकलन अलग से आर्थिक रूप से किया जाना चाहिए।

क्षति और विशेष क्षति। आर्थिक नुकसान ए. एम. बनाम हैं।

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया रेन्स कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वे जो पीड़ित ने वास्तव में किए हैं और जो धन के संदर्भ में गणना करने में सक्षम हैं; जबकि गैर-आर्थिक नुकसान वे हैं जो अंकगणितीय गणना द्वारा मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। दो अवधारणाओं की सराहना करने के लिए आर्थिक नुकसान में दावेदार द्वारा किए गए खर्च शामिल हो सकते हैंः ((i) चिकित्सा उपस्थिति;

((ii) परीक्षण की तारीख तक लाभ की कमाई का नुकसान; (iii) अन्य भौतिक नुकसान। जहाँ तक गैर-आर्थिक नुकसान हैं

संबंधित, उनमें शामिल हो सकते हैंः (i) मानसिक और शारीरिक सदमे, दर्द और पीड़ा के लिए नुकसान, जो पहले से ही पीड़ित है या

भविष्य में पीड़ित होने की संभावना; (ii) नुकसान

जीवन की सुविधाओं के नुकसान की भरपाई जो हो सकती है

इसमें विभिन्न प्रकार के मामले शामिल हैं अर्थात चोट के कारण दावेदार चलने, दौड़ने या बैठने में सक्षम नहीं हो सकता है। (iii) जीवन की उम्मीद की हानि के लिए हर्जाना अर्थात चोट के कारण

संबंधित व्यक्ति की सामान्य दीर्घायु कम हो जाती है; (iv) असुविधा, कठिनाई, असुविधा, निराशा,

जीवन में हताशा और मानसिक तनाव "।

5. राज कुमार बनाम। अजय कुमार [(2011) 1 एससीसी 343: (2011) एससीसी (सी. आई. वी.) 164: (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1161], इस न्यायालय ने उन शीर्षों को निर्धारित किया जिनके तहत मुआवजा दिया जाना है।आर व्यक्तिगत चोटेंः (एस. सी. सी पी. 328, पैरा 6)

" 6. जिन शीर्षों के तहत मुआवजा दिया जाता है

व्यक्तिगत चोट के मामले निम्नलिखित हैंः

आर्थिक क्षति (विशेष क्षति)

उपचार, अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं से संबंधित खर्च,

परिवहन, पोषण और विविध खाद्य पदार्थ

व्यय।

) कमाई का नुकसान (और अन्य लाभ) जो घायल व्यक्ति को होता अगर वह घायल नहीं होता, जिसमें शामिल हैंः

(क) उपचार की अवधि के दौरान कमाई का नुकसान; (ख) स्थायी आय के कारण भविष्य की आय का नुकसान।

अक्षमता।

i) भविष्य के चिकित्सा व्यय।

गैर-आर्थिक नुकसान (सामान्य नुकसान)

((iv) दर्द, पीड़ा और आघात के लिए नुकसान

चोटों का परिणाम।

(v) सुविधाओं का नुकसान (और/या विवाह की संभावनाओं का नुकसान)। (vi) जीवन की अपेक्षा में कमी (सामान्य स्थिति में कमी)

दीर्घायु)।

नियमित व्यक्तिगत चोट के मामलों में, मुआवजा दिया जाएगा

केवल शीर्ष (i), (ii) (a) और (iv) के तहत प्रदान किया जाता है। यह केवल चोट के गंभीर मामलों में होता है, जहां विशिष्ट चिकित्सा होती है।

सुविधाएँ (और/या विवाह की संभावनाओं का नुकसान) और जीवन की अपेक्षा का नुकसान। 17. के. सुरेश बनाम. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2012) 12 एस. सी. सी. 274: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 279: (2013) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 638, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 276, पैरा 2)

पीड़ा के लिए वास्तविक मुआवजा नहीं हो सकता है।

" 2 .

हृदय या मानसिक क्लेशों के लिए। सर्वोत्कृष्टता

जो यथार्थवादी सन्निकटन के दायरे में होना चाहिए। इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168

"न्यायसंगत क्षतिपूर्ति" निर्धारित करने के लिए कानून की एक अदालत जो है न कोई वरदान और न ही कोई अप्रत्याशित घटना, और साथ ही,

यह एक छोटी राशि नहीं होनी चाहिए।

**

****

****

आमदनी में कमी

20. नीचे की दोनों अदालतों ने कहा है कि चूंकि लड़की 12 साल की छोटी बच्ची थी, इसलिए केवल 15,000 रुपये प्रति वर्ष की अनुमानित आय को ध्यान में रखा जा सकता है। हमें नहीं लगता कि यह भविष्य

में आय के नुकसान का आकलन करने का एक उचित तरीका है। यह युवा लड़की पढ़ाई के बाद काम कर सकती थी और कमाई भी कर सकती थी

15, 000 रुपये प्रति वर्ष से बहुत अधिक। प्रत्येक मामले का निर्णय SIDRAM v. द्वारा किया जाना है।

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपने स्वयं के साक्ष्य पर लेकिन 15,000 रुपये प्रति वर्ष की अनुमानित आय को लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपीलार्थी ने हमारे सामने यह दिखाने के लिए सामग्री रखी है कि एक कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी 4846 रुपये प्रति माह है। हमारी राय में, यह न्यूनतम राशि होगी जो उसने मेजर बनने पर अर्जित की होगी। भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत जोड़कर, यह प्रति माह 6784.40 यानी 81,412.80 प्रति माह होने का काम करता है। 18 के गुणक को लागू करना, यह काम करता है

रु. 14,65,430.40, जिसे रु. 14,66,000 में रखा गया है। "

37. निरूपम मोहन माथुर बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस

कंपनी, (2013) 14 एस. सी. सी. 15, इस न्यायालय ने एक पीड़ित के मामले पर विचार किया, जिसकी चोट का आकलन 70 प्रतिशत के लिए कमाई क्षमता के नुकसान के रूप में किया गया था। हाथ का विच्छेदन; वह एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक था

मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 32 वर्ष की आयु और लगभग रु। 3000 / प्रति माह। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को मंजूरी देते हुए कहा (जिसने अर्जित करने की क्षमता के नुकसान को निर्धारित करने के उद्देश्य से 70 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 से सूत्र को अपनाया था)

इस प्रकार हैः

" 12. वर्तमान मामले में, स्थायी विकलांगता का प्रतिशत डॉक्टरों द्वारा पूरे शरीर के संदर्भ में या किसी विशेष अंग के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया गया है। हालाँकि, यह विवाद में नहीं है कि दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप इतनी स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा कि वह डिजाइनिंग, प्रशीतन और वातानुकूलन का विशेष काम करने की स्थिति में नहीं है। उक्त कारण से, दावेदार की सेवाओं को उसके नियोक्ता द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दावेदार डेस्क नौकरी सहित कोई अन्य काम करने में सक्षम नहीं है। बी. एस. सी. डिग्री की योग्यता और

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, वह कोई भी नौकरी कर सकता है जहां दिमाग के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है

कोई भी शारीरिक कार्य।

13. वर्तमान चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं पाते हैं जिसमें कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार अर्जित करने की क्षमता के नुकसान के प्रतिशत को 70 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा आय के कुल नुकसान की गणना सही ढंग से 6,04,800 पर की गई थी।

38. हालाँकि, चोट का मौद्रिक मूल्यांकन करने के लिए केवल पीड़ित को क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। इस तरह के मूल्यांकन की प्रक्रिया, चाहे वह मृत्यु या चोट के मामले में हो, अधिनियम की धारा 168 में प्रदान की गई है जिसके लिए आवश्यक है कि न्यायाधिकरणों का गठन किया जाए।आर अधिनियम मुआवजे का निर्धारण करता है, जो 'न्यायसंगत' प्रतीत होता है। इस प्रकार, सी. टी. न्यायाधिकरणों पर एक व्यापक विवेकाधिकार निहित करता है। इस फैसले को

मंडल नियंत्रक, केएसआरटीसी बनाम। महादेव शेट्टी और

उनका, (2003) 7 एस. सी. सी. 197, यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता है (पैरा 15):

" 15. ..... यह ध्यान में रखना होगा कि मुआवजे के लिए

अंगों के नुकसान या जीवन को शायद ही सुनहरे तराजू में तौला जा सकता है।

शारीरिक चोट और कुछ नहीं बल्कि एक अभाव है जो अधिकार देता है

हानि का दावेदार। निर्धारित क्षति की मात्रा चोट के अनुसार होनी चाहिए। चोट लग सकती है

आय क्षमता में कमी, आय में कमी जैसे कई परिणाम

मानसिक सुख और इस तरह के कई परिणामी नुकसान। एक व्यक्ति

हो सकता है कि उसका जीवन छोटा कर दिया गया हो या वह जीवन का आनंद नहीं ले सकते, जो शारीरिक अक्षमता के कारण कम हो गया है। जीवन की सामान्य अपेक्षा क्षीण हो जाती है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि क्षतिपूर्ति

पीड़ित के लिए अप्रत्याशित होने की उम्मीद नहीं है। वैधानिक

प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि क्षतिपूर्ति होनी चाहिए

" और यह एक वरदान नहीं हो सकता है; लाभ का स्रोत नहीं है, लेकिन यह एक मामूली राशि नहीं होनी चाहिए। अदालतें और न्यायाधिकरण

विभिन्न कारकों को तौलने और उनकी मात्रा निर्धारित करने का कर्तव्य है

मुआवजे की राशि, जो न्यायसंगत होनी चाहिए। न्यायसंगत मुआवजा क्या होगा, यह एक परेशान करने वाला सवाल है। नहीं हो सकता है।

मूल्य को मापने के लिए सभी मामलों में लागू होने वाला सुनहरा नियम मानव जीवन या एक अंग। क्षति का मापन सटीक गणितीय गणनाओं द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और विशिष्ट या विशेष विशेषताओं, यदि कोई हो, पर ध्यान देगा। अपनाई गई प्रत्येक विधि या विधि

मुआवजे का आकलन करने के लिए विचार किया जाना चाहिए

"न्यायसंगत" मुआवजे की पृष्ठभूमि जो महत्वपूर्ण है

विचार करें। हालांकि "जो" अभिव्यक्ति का उपयोग करके

यह न्यायपूर्ण प्रतीत होता है ", एक व्यापक विवेकाधिकार निहित है न्यायाधिकरण, निर्धारण तर्कसंगत होना चाहिए, एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए न कि सनक, जंगली के परिणाम से।

अनुमान और मनमानेपन।

डी. आर. ए. एम वी. द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारत[सरांस कं. लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

39. आर. डी. हट्टंगडी (ऊपर) में इस न्यायालय ने कुछ निश्चित किया

पालन किए जाने वाले उपायः

" 9 ..... दुर्घटना के पीड़ित को देय मुआवजे की राशि तय करते समय, नुकसान का आकलन किया जाना चाहिए।

अलग से आर्थिक क्षति और विशेष क्षति के रूप में।

आर्थिक क्षति वे हैं जो वास्तव में पीड़ित को होती हैं।

जो व्यय किए जाते हैं और जिनकी गणना धन के संदर्भ में की जा सकती है; जबकि गैर-आर्थिक नुकसान वे हैं जो अंकगणितीय गणना द्वारा मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। दो अवधारणाओं की सराहना करने के लिए आर्थिक नुकसान में दावेदार द्वारा किए गए खर्च शामिल हो सकते हैंः (i) चिकित्सा उपस्थिति; (ii) परीक्षण की तारीख तक लाभ की कमाई का नुकसान; (iii) अन्य भौतिक नुकसान। अब तक गैर-आर्थिक नुकसान

संबंधित हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं (i) मानसिक और शारीरिक सदमे, दर्द और पीड़ा के लिए नुकसान, जो पहले से ही पीड़ित हैं या भविष्य में पीड़ित होने की संभावना है; (ii) जीवन की सुविधाओं के नुकसान की भरपाई के लिए नुकसान जिसमें विभिन्न मामले शामिल हो सकते हैं, अर्थात। चोट के कारण दावेदार चलने, भागने या बैठने में सक्षम नहीं हो सकता है; (iii) जीवन की उम्मीद की हानि के लिए नुकसान, अर्थात। चोट के कारण संबंधित व्यक्ति की सामान्य दीर्घायु कम हो जाती है; (iv) असुविधा, कठिनाई, असुविधा, निराशा, हताशा और मानसिक तनाव।

जीवन "।

40. राज कुमार (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने y मामलों में मुआवजे से संबंधित सामान्य सिद्धांतों और स्थायी नुकसान के कारण भविष्य में आय के नुकसान के आकलन को स्पष्ट शब्दों में समझाया है।

अभिमानः

" चोट के मामलों में मुआवजे से संबंधित सामान्य सिद्धांत

5. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") के प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि पुरस्कार न्यायसंगत होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि क्षतिपूर्ति, जहां तक संभव हो, दावेदार को दुर्घटना से पहले की स्थिति में पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से बहाल करनी चाहिए। हर्जाना देने का उद्देश्य गलत काम के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई करना है, जहाँ तक पैसे की बात है।

ऐसा निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से कर सकते हैं। द.

अदालत या न्यायाधिकरण को नुकसान का आकलन करना होगा। वस्तुनिष्ठ रूप से और किसी भी अटकलबाजी [2022] 8 एस. सी. आर. को विचार से बाहर रखें।

या कल्पना, हालांकि अक्षमता की प्रकृति और उसके परिणामों के संदर्भ में कुछ अनुमान अपरिहार्य हैं। एक व्यक्ति को न केवल शारीरिक चोट के लिए मुआवजा दिया जाना है, बल्कि उस नुकसान के लिए भी जो उसे ऐसी चोट के परिणामस्वरूप हुआ है। इसका मतलब है कि उसे पूर्ण जीवन जीने में असमर्थता, उन सामान्य सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता के लिए मुआवजा दिया जाना है जो

वह आनंद लेता लेकिन चोटों के लिए, और उतनी कमाई करने में असमर्थता के लिए जितनी वह कमाता था या कमा सकता था। [सी. के. सुब्रमण्यम अय्यर बनाम देखें। टी. कुन्हीकुट्टन नायर [(1969) 3 एससीसी 64: ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 376], आर. डी. हट्टंगडी बनाम। कीट नियंत्रण (भारत) (पी) लिमिटेड [(1995) 1 एस. सी. सी. 551: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 250] और बेकर बनाम। विलोबी [1970 एसी 467: (1970) 2 डब्ल्यूएलआर 50: (1969) 3 सभी ई. आर. 1528 (एच. एल.)]

6. जिन शीर्षों के तहत मुआवजा दिया जाता है

व्यक्तिगत चोट के मामले निम्नलिखित हैं:

आर्थिक क्षति (विशेष क्षति) (i) उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवाएं, परिवहन, पोषण भोजन और विविध से संबंधित खर्च।

व्यय।

((ii) कमाई (और अन्य लाभ) का नुकसान जो घायल व्यक्ति को होता अगर वह घायल नहीं होता, जिसमें शामिल हैं:

(ख) स्थायी आय के कारण भविष्य की आय का नुकसान। अक्षमता।

((iii) भविष्य के चिकित्सा व्यय।

गैर-आर्थिक नुकसान (सामान्य नुकसान)

((iv) चोटों के परिणामस्वरूप दर्द, पीड़ा और आघात के लिए नुकसान।

(v) सुविधाओं का नुकसान (और/या विवाह की संभावनाओं का नुकसान)। (vi) जीवन की अपेक्षा में कमी (सामान्य स्थिति में कमी)

दीर्घायु)।

नियमित व्यक्तिगत चोट के मामलों में, मुआवजा केवल शीर्ष (i), (ii) (a) और (iv) के तहत दिया जाएगा। यह केवल चोट के गंभीर मामलों में होता है, जहां विशिष्ट चिकित्सा डी. आर. ए. एम. वी. होता है।

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारत[सरांस कं. लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

दावेदार के साक्ष्य की पुष्टि करने वाला साक्ष्य, कि स्थायी अक्षमता, भविष्य के चिकित्सा खर्चों, भविष्य की आय के नुकसान से संबंधित किसी भी शीर्ष (ii) (b), (iii), (v) और (vi) के तहत मुआवजा दिया जाएगा।

सुविधाएँ (और/या विवाह की संभावनाओं का नुकसान) और जीवन की अपेक्षा का नुकसान।

7. मद (i) और मद (ii) (a) के तहत आर्थिक नुकसान का आकलन अधिक कठिनाई पैदा नहीं करता है क्योंकि उनमें वास्तविक की प्रतिपूर्ति शामिल होती है और साक्ष्य से आसानी से पता लगाया जा सकता है। भविष्य के चिकित्सा खर्चों के शीर्ष के तहत पुरस्कार-वस्तु (iii)-आगे के उपचार की आवश्यकता और उसकी लागत के संबंध में विशिष्ट चिकित्सा साक्ष्य पर निर्भर करता है।

गैर-आर्थिक नुकसानों-मदें (iv), (v) और (vi)-के निर्धारण में एकमुश्त राशि का निर्धारण शामिल है -

आयु, दावेदार को हुई चोट/अभाव/अक्षमता की प्रकृति और दावेदार के भविष्य के जीवन पर उसके प्रभाव जैसी परिस्थितियों का संदर्भ। इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों में यदि आवश्यक हो तो इन शीर्षों के तहत निर्णय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश हैं। आमतौर पर क्या पोज देता है

स्थायी अक्षमता के कारण भविष्य की आय के नुकसान का आकलन करना कुछ कठिनाई है-मद (ii) (क)। हम इस मामले में उस मूल्यांकन से चिंतित हैं। स्थायी आय के कारण भविष्य में आय के नुकसान का आकलन

अक्षमता

8. अक्षमता किसी भी प्रतिबंध या किसी गतिविधि को करने की क्षमता की कमी को संदर्भित करती है जिसे सामान्य माना जाता है।

मनुष्य होना। स्थायी अक्षमता शरीर के कुछ हिस्सों की अवशिष्ट अक्षमता या उपयोग की हानि को संदर्भित करता है, जो उपचार और स्वास्थ्य लाभ की अवधि के अंत में मौजूद पाया जाता है, अधिकतम शारीरिक सुधार या स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद जो घायल व्यक्ति के शेष जीवन के लिए रहने की संभावना है। अस्थायी अक्षमता चोट के कारण शरीर के किसी हिस्से के उपयोग की अक्षमता या हानि को संदर्भित करती है, जो

उपचार और स्वास्थ्य लाभ की अवधि के अंत में अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्थायी अक्षमता या तो आंशिक या पूर्ण हो सकती है। आंशिक स्थायी अक्षमता किसी व्यक्ति की उन सभी कर्तव्यों और शारीरिक कार्यों को करने में असमर्थता को संदर्भित करती है जो वह दुर्घटना से पहले कर सकता था, हालांकि वह [2022] 8 एस. सी. आर. करने में सक्षम है।

उनमें से कुछ और अभी भी कुछ लाभकारी गतिविधि में संलग्न होने में सक्षम हैं। पूर्ण स्थायी अक्षमता किसी व्यक्ति की अक्षमता को संदर्भित करती है

दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी भी व्यवसाय या रोजगार से संबंधित गतिविधियों को करना। मोटर दुर्घटना की चोटों से उत्पन्न होने वाली स्थायी अक्षमताएँ शारीरिक अक्षमताओं की तुलना में बहुत व्यापक हैं जो हैं -

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में "विकलांग अधिनियम") में उल्लिखित। लेकिन अगर विकलांग अधिनियम की धारा 2 (i) में उल्लिखित कोई भी अक्षमता

मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के परिणामस्वरूप, वे मुआवजे का दावा करने के उद्देश्य से स्थायी विकलांग हो सकते हैं।

9. स्थायी अक्षमता का प्रतिशत डॉक्टरों द्वारा पूरे शरीर के संदर्भ में, या अधिक बार किसी विशेष अंग के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जब एक विकलांगता प्रमाण पत्र में कहा गया है कि घायल को स्थायी रूप से नुकसान उठाना पड़ा है

बाएं निचले अंग के 45 प्रतिशत की सीमा तक अक्षमता, यह पूरे शरीर के संदर्भ में 45 प्रतिशत स्थायी अक्षमता के समान नहीं है। एक अंग (या शरीर के हिस्से) की अक्षमता की सीमा को उस अंग के कुल कार्यों के प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, स्पष्ट रूप से पूरे शरीर की अक्षमता की सीमा नहीं मानी जा सकती है। यदि दाहिने हाथ की 60 प्रतिशत स्थायी अक्षमता और बाएं पैर की 80 प्रतिशत स्थायी अक्षमता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी अक्षमता की सीमा 140% (यानी 80 प्रतिशत और 60 प्रतिशत) है। यदि शरीर के विभिन्न हिस्सों में अक्षमताओं के अलग-अलग प्रतिशत हुए हैं, तो पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी अक्षमता के संदर्भ में व्यक्त कुल राशि स्पष्ट रूप से 100% से अधिक नहीं हो सकती है।

10. जहाँ दावेदार एक स्थायी विकलांगता से पीड़ित है -

चोटों के परिणामस्वरूप, भविष्य की आय के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजे का आकलन उसकी कमाई पर ऐसी स्थायी अक्षमता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा।

क्षमता। न्यायाधिकरण को स्वचालित रूप से स्थायी विकलांगता के प्रतिशत को आर्थिक नुकसान या कमाई क्षमता के नुकसान के प्रतिशत के रूप में लागू नहीं करना चाहिए। अधिकांश मामलों में, आर्थिक नुकसान का प्रतिशत, अर्थात डी. आर. ए. एम. का प्रतिशत v।

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारत[सरांस कं. लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

स्थायी अक्षमता से उत्पन्न कमाई क्षमता का नुकसान स्थायी अक्षमता के प्रतिशत से अलग होगा। कुछ न्यायाधिकरण गलत तरीके से यह मानते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी विकलांगता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप

क्षतिपूर्ति। 11. न्यायाधिकरण द्वारा जिस बात का आकलन करने की आवश्यकता है, वह है घायलों की कमाई करने की क्षमता पर स्थायी विकलांगता का प्रभाव; और इसमें कमाई करने की क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद।

आय के प्रतिशत के संदर्भ में, इसे धन के संदर्भ में मापा जाना चाहिए, ताकि आय के भविष्य के नुकसान (निर्भरता के नुकसान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक गुणक विधि को लागू करके) पर पहुंचा जा सके। तथापि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कुछ मामलों में, साक्ष्य और मूल्यांकन के मूल्यांकन पर, न्यायाधिकरण यह पा सकता है कि स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी अक्षमता के प्रतिशत के लगभग बराबर है, जिस मामले में, निश्चित रूप से,

अरविंद कुमार मिश्रा बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. लिमिटेड [(2010) 10 एस. सी. सी. 254: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1258: (2010) 10 स्केल 298] और यादव कुमार बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी।

लिमिटेड [(2010) 10 एस. सी. सी. 341: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1285: (2010) 8 स्केल 567])

12. इसलिए, न्यायाधिकरण को पहले यह तय करना होगा कि क्या कोई स्थायी विकलांगता है और यदि है, तो ऐसी स्थायी विकलांगता की सीमा क्या है। इसका मतलब है कि न्यायाधिकरण को

साक्ष्य के संदर्भ में विचार करें और निर्णय लें:

(i) क्या अक्षमता स्थायी है या अस्थायी है;

((ii) यदि अक्षमता स्थायी है, चाहे वह स्थायी पूर्ण अक्षमता हो या स्थायी आंशिक अक्षमता।

(iii) यदि अक्षमता प्रतिशत के साथ व्यक्त किया जाता है

किसी विशिष्ट अंग का संदर्भ, फिर इस तरह का प्रभाव पूरे शरीर के कामकाज पर अंग की अक्षमता, यानी व्यक्ति को स्थायी अक्षमता।

यदि न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि कोई स्थायी विकलांगता नहीं है

तब आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है और

भविष्य में कमाई करने की क्षमता के नुकसान का निर्धारण करना। लेकिन अगर न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि स्थायी विकलांगता है तो यह

इसकी सीमा का पता लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। न्यायाधिकरण के बाद स्थायी अक्षमता की वास्तविक सीमा का पता लगाता है

चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर दावेदार को यह निर्धारित करना होता है कि क्या इस तरह की स्थायी अक्षमता ने उसकी कमाई की क्षमता को प्रभावित किया है या नहीं।

13. स्थायी अक्षमता के प्रभाव की पुष्टि

वास्तविक कमाई क्षमता में तीन चरण शामिल हैं। न्यायाधिकरण को पहले यह पता लगाना होगा कि स्थायी विकलांगता के बावजूद दावेदार कौन सी गतिविधियाँ कर सकता है और स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप वह क्या नहीं कर सकता है (यह सुविधाओं के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजा देने के लिए भी प्रासंगिक है)।

जीवन)। दूसरा कदम उसके व्यवसाय का पता लगाना है,

दुर्घटना से पहले का पेशा और काम की प्रकृति, साथ ही उसकी उम्र भी। तीसरा कदम यह पता लगाना है कि क्या (i) दावेदार है

किसी भी प्रकार की आजीविका कमाने से पूरी तरह से अक्षम, या (ii) स्थायी विकलांगता के बावजूद, दावेदार अभी भी उन गतिविधियों और कार्यों को प्रभावी ढंग से जारी रख सकता है, जिन्हें वह पहले कर रहा था, या (iii) क्या उसे अपनी पिछली गतिविधियों के निर्वहन से रोका या प्रतिबंधित किया गया था और

कार्य करता है, लेकिन कुछ अन्य या कम पैमाने की गतिविधियों और कार्यों को जारी रख सकता है ताकि वह अर्जित करना जारी रखे या अपनी आजीविका अर्जित करना जारी रख सके।

14. उदाहरण के लिए, यदि किसी दावेदार का बायां हाथ काट दिया जाता है, तो स्थायी शारीरिक या कार्यात्मक अक्षमता हो सकती है

लगभग 60 प्रतिशत आंका गया। यदि दावेदार चालक या बढ़ई था, तो कमाई करने की क्षमता का वास्तविक नुकसान लगभग सौ प्रतिशत हो सकता है, यदि वह न तो गाड़ी चला सकता है और न ही कर सकता है।

बढ़ईगीरी। दूसरी ओर, यदि दावेदार सरकारी सेवा में क्लर्क था, तो उसके बाएं हाथ के नुकसान के परिणामस्वरूप नौकरी का नुकसान नहीं हो सकता है और उसे अभी भी क्लर्क डी. आर. ए. एम. V के रूप में जारी रखा जा सकता है।

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारत[सरांस कं. लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

क्योंकि वह अपने लिपिकीय कार्यों को पूरा कर सकता था; और उस स्थिति में कमाई करने की क्षमता का नुकसान चालक या बढ़ई के मामले में 100% नहीं होगा, न ही 60 प्रतिशत जो वास्तविक शारीरिक अक्षमता है, लेकिन बहुत कम होगा। वास्तव में, "भविष्य की कमाई के नुकसान" के शीर्ष के तहत कोई मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है, यदि दावेदार सरकारी सेवा में बना रहता है, हालांकि उसे अपना हाथ खोने के परिणामस्वरूप सुविधाओं के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजा दिया जा सकता है। कभी-कभी घायल दावेदार को सेवा में जारी रखा जा सकता है, लेकिन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है। उस पद या नौकरी से जुड़ा हुआ है जो वह अपनी अक्षमता के कारण पहले धारण कर रहा था, और इसलिए कम परिलब्धियों के साथ किसी अन्य उपयुक्त लेकिन कम पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है, इस मामले में भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान के शीर्ष के तहत एक सीमित पुरस्कार होना चाहिए, कम कमाई को ध्यान में रखते हुए।

क्षमता।

15. यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब मुआवजे को भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान को 100% (या 50 प्रतिशत से अधिक कुछ भी) के रूप में माना जाता है, तो सुविधाओं के नुकसान या नुकसान के शीर्ष के तहत अलग से मुआवजा देने की आवश्यकता होती है।

जीवन की अपेक्षा गायब हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप, केवल एक टोकन या सुविधाओं के नुकसान या जीवन की उम्मीद के नुकसान के शीर्ष के तहत नाममात्र की राशि प्रदान की जा सकती है, अन्यथा मुआवजे के पुरस्कार में दोहराव हो सकता है। जो भी हो सकता है।

16. जब चोटों और उनके प्रभाव, विशेष रूप से, स्थायी विकलांगता की सीमा के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायाधिकरण को मूक दर्शक नहीं होना चाहिए। अधिनियम की धारा 168 और 169 यह स्पष्ट करती है कि न्यायाधिकरण एक तटस्थ अंपायर के रूप में कार्य नहीं करता है जैसा कि एक दीवानी मुकदमे में होता है, बल्कि एक सक्रिय खोजकर्ता और सत्य के साधक के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए आवश्यक है कि वह "न्याय का अधिकार प्राप्त करे।

"न्यायसंगत मुआवजे" के निर्धारण के लिए दावे की जांच। इसलिए न्यायाधिकरण को सही और सही स्थिति का पता लगाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि वह "न्यायसंगत मुआवजे" का आकलन कर सके। व्यक्तिगत चोट के मामलों से निपटने के दौरान, न्यायाधिकरण को अधिमानतः खुद को एक चिकित्सा शब्दकोश और मूल्यांकन के लिए एक पुस्तिका से लैस करना चाहिए।

स्थायी शारीरिक हानि (उदाहरण के लिए, [2022] 8 एस. सी. आर. के लिए नियमावली।

चिकित्सा साक्ष्य को समझने और शारीरिक और कार्यात्मक अक्षमता का आकलन करने के लिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन या इसके भारतीय समकक्ष या अन्य अधिकृत ग्रंथों द्वारा तैयार ऑर्थोपेडिक सर्जनों के लिए स्थायी शारीरिक कमजोरी का मूल्यांकन। न्यायाधिकरण कामगारों के मुआवजे की पहली अनुसूची को भी ध्यान में रख सकता है।

अधिनियम, 1923 जो मामले में विभिन्न प्रकार की चोटों में स्थायी विकलांगता की सीमा के बारे में कुछ संकेत देता है।

कामगारों से।

17. यदि साक्ष्य देने वाला कोई डॉक्टर तकनीकी चिकित्सा शब्दों का उपयोग करता है, तो न्यायाधिकरण को उसे इसके अलावा, सरल गैर-चिकित्सा शब्दों में, चोट की प्रकृति और प्रभाव बताने का निर्देश देना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर स्थायी के प्रतिशत के बारे में सबूत देता है

अक्षमता, न्यायाधिकरण को स्पष्टीकरण मांगना होगा कि क्या अक्षमता का ऐसा प्रतिशत कार्यात्मक अक्षमता है

पूरे शरीर के संदर्भ में या क्या यह केवल एक अंग के संदर्भ में है। यदि स्थायी अक्षमता का प्रतिशत किसी अंग के संदर्भ में बताया जाता है, तो न्यायाधिकरण को इस बारे में डॉक्टर की राय कि क्या पूरे शरीर के संदर्भ में संबंधित कार्यात्मक स्थायी विकलांगता का अनुमान लगाना संभव है और यदि ऐसा है, तो प्रतिशत।

18. न्यायाधिकरण को भी सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए, यदि उसने उन डॉक्टरों के विशेषज्ञ साक्ष्य को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा है जिन्होंने उपचार नहीं किया था।

घायल लेकिन जो उचित चिकित्सा मूल्यांकन के बिना "उपयोग के लिए तैयार" विकलांगता प्रमाण पत्र देते हैं। कई हैं।

बेईमान डॉक्टरों के उदाहरण जो घायलों का इलाज किए बिना, दावेदारों की मदद करने के लिए आसानी से उदार विकलांगता प्रमाण पत्र देते हैं। लेकिन जहां विधिवत गठित चिकित्सा बोर्डों द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उन्हें ऐसे प्रमाण पत्रों की वास्तविकता के बारे में साक्ष्य के अधीन स्वीकार किया जा सकता है। न्यायाधिकरण निश्चित रूप से यह माँग कर सकता है कि घायल का इलाज करने वाले या स्थायी अक्षमता का आकलन करने वाले डॉक्टर का प्रमाण। केवल अक्षमता का उत्पादन

प्रमाण पत्र या निर्वहन प्रमाण पत्र इसका प्रमाण नहीं होगा

उसमें बताई गई अक्षमता की सीमा जब तक कि दावेदार का इलाज करने वाले या दावेदार की अक्षमता की सीमा की चिकित्सकीय जांच और मूल्यांकन करने वाले डॉक्टर को प्रमाण पत्र के संदर्भ में प्रतिपरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यदि न्यायाधिकरण SIDRAM v.

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है

मेडिकल कॉलेज) और दावेदार को ऐसे मेडिकल कॉलेज में भेजें। अक्षमता के मूल्यांकन के लिए बोर्ड।

19. अब हम ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं:

(i) सभी चोटों (या स्थायी अक्षमताओं से उत्पन्न होने वाली)

चोटें), जिसके परिणामस्वरूप कमाई की क्षमता का नुकसान नहीं होता है। ((ii) किसी व्यक्ति के पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी विकलांगता का प्रतिशत नहीं माना जा सकता है।

आय क्षमता के नुकसान का प्रतिशत होना। इसे रखने के लिए अलग तरह से, कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के बराबर नहीं है (सिवाय इसके कि

कुछ मामले, जहां न्यायाधिकरण साक्ष्य के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत है

स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के समान)।

((iii) वह डॉक्टर जिसने किसी घायल दावेदार का इलाज किया हो या जिसने

उसकी सीमा का आकलन करने के लिए बाद में उसकी जांच की गई

स्थायी अक्षमता केवल इस संबंध में साक्ष्य दे सकती है

यह कुछ ऐसा है जिसका मूल्यांकन न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए पूरी तरह से साक्ष्य के संदर्भ में।

((iv) एक ही स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप अलग-अलग हो सकते हैं।

विभिन्न व्यक्तियों में अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत,

यह पेशे, व्यवसाय या नौकरी, आयु, शिक्षा और अन्य कारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

41. बाद में, एक अन्य निर्णय में, यानी जाकिर हुसैन बनाम। साबिर और उसका, (2015) 7 एस. सी. सी. 252, इस न्यायालय को इसकी शुद्धता पर विचार करना था

उच्च न्यायालय के विश्लेषण के आधार पर क्षतिपूर्ति मूल्यांकन

पीड़ित को चोट पहुँचाना (एक ड्राइवर जिसे अपनी बांह पर स्थायी चोट लगी थी, जो गति के साथ-साथ कलाई को भी जोड़ता था, जिससे वह अक्षम हो जाता था)

किसी भी वाहन को चलाना)। उच्च न्यायालय ने स्थायी मूल्यांकन किया था

30 प्रतिशत पर सक्षम, भले ही डॉक्टर ने इसे 55 प्रतिशत प्रमाणित किया था। उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यह भी कहा किः

" 15. ..... इस चोट के कारण, डॉक्टर ने कहा है कि अपीलार्थी को अपने कंधे, कलाई और [2022] 8 एस. सी. आर. को हिलाने में बहुत कठिनाई हुई थी।

कोहनी और मवाद दो साल से भी चोट से बाहर आ रहे थे।

दुर्घटना के बाद उनका इलाज किया गया। डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में आगे कहा कि अपीलार्थी के दाहिने हाथ की ह्यूमरस हड्डी में फ्रैक्चर होने में देरी हुई

तारों और नाखूनों के साथ और यह कि वह 55 प्रतिशत अक्षमता का सामना कर चुके थे और उसी के कारण भविष्य में कोई मोटर वाहन नहीं चला सकते थे। उच्च न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान उनका एक बार फिर ऑपरेशन किया गया और उन्हें 10 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपीलार्थी उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था और इसका अवलोकन किया गया और

उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी का दाहिना हाथ पूरी तरह से कुचला और विकृत हो गया था। इस मामले में डॉक्टर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान के लिए राशि की गणना के लिए गलती से स्थायी विकलांगता की सीमा को क्रमशः 30 प्रतिशत और 55 प्रतिशत पर ले लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर ने अपीलार्थी की स्थायी अक्षमता का आकलन 55 प्रतिशत किया है। हालांकि, यह प्रासंगिक तथ्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है, अर्थात्, कि अपीलार्थी एक चालक है और मोटर वाहन चलाना ही उसके साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों के लिए आजीविका का एकमात्र साधन है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से खराब था।

कुचला और विकृत। 16. राज कुमार बनाम। अजय कुमार [(2011) 1 एस. सी. सी. 343], इस न्यायालय ने विशेष रूप से एक चालक का चित्रण दिया है जिसके पास है

हाथ की स्थायी अक्षमता और कहा कि हानि

भविष्य की आय क्षमता वस्तुतः 100% होगी। इसलिए, स्पष्ट रूप से जब स्थायी विकलांगता के कारण कमाई के नुकसान की बात आती है, तो इसे 100% के कारण होने वाले नुकसान के रूप में माना जा सकता है।

अपीलार्थी क्योंकि वह फिर कभी चालक के रूप में काम नहीं कर पाएगा। प्रत्यर्थी बीमा कंपनी का तर्क कि अपीलार्थी कोई अन्य विकल्प ले सकता है

उनके प्रत्यावर्ती दायित्व से बचने के लिए रोजगार कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, आय का नुकसान हमारे द्वारा 54,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, सरला में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार उपयुक्त गुणक लागू करके

वर्मा बनाम। डीटीसी [(2009) 6 एससीसी 121: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 770: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1002], भविष्य के एस. आई. डी. आर. ए. एम. का कुल नुकसान v.

अपीलार्थी की आय 54,000 x 16 = रु. होगी। 8,64,000 . ”

42. एंथनी उर्फ एंथनी स्वामी बनाम। प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, (2020) 7 एससीसी

प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2011) 13 एस. सी. सी. 323। उच्च न्यायालय ने चोट को 25 प्रतिशत स्थायी अक्षमता माना था। हालांकि इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा था कि बस यात्री (जो रुपये कमा रहा था) को चोट लगी थी। 9000 / - प्रति माह) बाएं पैर का 75 प्रतिशत और पूरे शरीर के लिए 37.5% था। राज कुमार (ऊपर) में, ऊपरी अंग की शारीरिक अक्षमता पूरे शरीर के 22 23% के अनुपात में 68 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। उच्च न्यायालय ने चोट का आकलन 25 प्रतिशत किया था और मुआवजे की मंजूरी दी थी। हालाँकि, इस न्यायालय ने इस आधार पर चोट का आकलन किया कि अक्षमता 75 प्रतिशत थी, जो इस प्रकार हैः

" 8. पीडब्लू 3 ने शारीरिक कार्यात्मक अक्षमता का आकलन किया था

अपीलार्थी का बायां पैर 75 प्रतिशत और कुल शारीरिक अक्षमता 37.5% है। उच्च न्यायालय ने आकलन करना उचित समझा है

शारीरिक अक्षमता केवल पूरे शरीर के 25 प्रतिशत पर। प्रतिशत में इस कमी के लिए कोई चर्चा नहीं है, अपीलार्थी द्वारा पीड़ित स्थायी कार्यात्मक अक्षमता की प्रकृति पर बहुत कम विचार किया गया है। मामले के तथ्यों में शारीरिक कार्यात्मक अक्षमता की सीमा पर इस तरह से विचार किया जाना चाहिए ताकि न्यायसंगत और उचित प्रदान किया जा सके।

भविष्य में कमाई के नुकसान के लिए अपीलार्थी को मुआवजा। दुर्घटना की तारीख को अपीलार्थी की अर्जित करने की क्षमता पूरी तरह से नकार दी गई है और कम नहीं की गई है। वह एक चित्रकार के रूप में काम करने में स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं। या कोई हाथ से काम करें। इसलिए भविष्य में कमाई के नुकसान के लिए मुआवजा उचित और न्यायपूर्ण होना चाहिए ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके, न कि मुआवजे के रूप में जो मुश्किल है। यदि 75 प्रतिशत शारीरिक अक्षमता ने अपीलार्थी को प्रस्तुत किया है

अपने सामान्य व्यवसाय को करने से स्थायी रूप से अक्षम या

इसी तरह के किसी भी काम में, पूरे शरीर की अक्षमता के अनुपात में उसे मुआवजे के अनुदान को समझना मुश्किल है। इसलिए अपीलार्थी को 5,500 रुपये के वेतन के साथ उसकी 75 प्रतिशत स्थायी शारीरिक कार्यात्मक अक्षमता के आधार पर भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार माना जाता है।

रुपये 6,93,000 पर 14 के गुणक के साथ। ”

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. मोटर वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक रिंग की चोट के लिए देय मुआवजे की राशि के सवाल पर विचार किया गया था।

एड सादिक और अन्य बनाम। प्रभागीय प्रबंधक, संयुक्त भारत

रेंस कंपनी लिमिटेड, (2014) 2 एस. सी. सी. 735, जब इस न्यायालय ने

एक सब्जी विक्रेता के लिए ई संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए सही मानक का उपयोग करें, जिसका दाहिना पैर मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप काटा जाना था। उच्च न्यायालय ने विचार किया

सक्षमता 65 प्रतिशत होनी चाहिए। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 7. इसके अलावा, अपीलार्थी का दावा है कि वह एक सब्जी विक्रेता के रूप में काम कर रहा था। यह सच है कि एक सब्जी विक्रेता को इस हद तक गतिशीलता की आवश्यकता नहीं हो सकती है कि वह एक ही स्थान पर सब्जियां बेचता है। हालांकि, सब्जी बेचने का व्यवसाय नहीं है।

यह किसी विशेष स्थान से सब्जियां बेचने तक सीमित है। यह. बल्कि थोक से सब्जियों की खरीद शामिल है।

बाजार या किसान और फिर इसे खुदरा बाजार में बेच दें। इसमें अक्सर कार्ट में सब्जियां बेचना शामिल होता है जिसके लिए 100% गतिशीलता की आवश्यकता होती है। लेकिन रूढ़िवादी दृष्टिकोण से भी, अगर हम यह मान लें कि अपीलार्थी दावेदार द्वारा सब्जी की बिक्री

एक स्थान से सब्जियाँ बेचना शामिल है, दावेदार को बाजार में सब्जियाँ लाने के लिए अपनी गतिशीलता के साथ सहायता की आवश्यकता होगी जो अन्यथा बेहद कठिन होगी

उसके लिए एक कटे हुए पैर के साथ। शारीरिक श्रम के मामलों से निपटने के दौरान हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है जहां अंगों का नुकसान अक्सर आजीविका के नुकसान के बराबर होता है। फिर भी, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता दावेदार बाजार में लाए जाने के बाद भी अपनी आजीविका के लिए सक्षम है, हम आय के नुकसान को निर्धारित करने के लिए 85 प्रतिशत पर अक्षमता का निर्धारण करते हैं।

8. अपीलार्थी दावेदार ने अपनी अपील में आगे दावा किया कि

वह सब्जी बनाकर 10,000 रुपये कमा रहा था।

वेंडिंग का काम। हालांकि, उच्च न्यायालय ने नुकसान पर विचार किया यह देखते हुए कि दावेदार ने अपनी आय के नुकसान को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, 3500 रुपये प्रति माह की आय का प्रावधान। यह.

हमारे लिए खुद को यह समझाना मुश्किल है कि श्रम कैसे होता है

एक असंगठित क्षेत्र में शामिल होकर अपना व्यवसाय कर रहा है

अपने मासिक को साबित करने के लिए दस्तावेजों का उत्पादन करने की अपेक्षा आय।

44. अरविंद कुमार मिश्रा (ऊपर) में, उस समय अपीलार्थी सी. आई. डी. एन. टी. सी. आई. डी. आर. ए. एम. बनाम में इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) डिग्री के अंतिम वर्ष का छात्र था।

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उनकी हालत गंभीर बनी रही; उनका दाहिना हाथ काट दिया गया था और दृष्टि गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। इस अदालत ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह 70 प्रतिशत तक स्थायी रूप से अक्षम थे। मोहन सोनी बनाम। राम अवतार तोमर और अन्य, (2012) 2 एस. सी. सी. 267 (पृष्ठ 272), एक पैर के नुकसान की चोट के मामले में, इस अदालत ने निर्णय दिया कि विकलांगता की सीमा के चिकित्सा साक्ष्य को यांत्रिक रूप से कम नहीं किया जाना चाहिएः

" 8. पक्षों के वकील को सुनने पर और आगे बढ़ते हुए

अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से, हमारा विचार है कि दोनों न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय पेगिंग में गलती कर रहे थे

अपीलार्थी की अक्षमता को 50 प्रतिशत तक कम करना

भविष्य में कमाई के नुकसान, किसी भी शारीरिक अक्षमता का संदर्भ एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप के संदर्भ में आंका जाना है

पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति

अक्षमता। यह मूल आधार है और एक बार जब यह समझ में आ जाता है,

यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार है कि एक ही चोट या हानि दो को प्रभावित कर सकती है।

अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग लोग। एक सीमांत का मामला लें

जो किसान अपनी खेती करता है वह खुद काम करता है और हल करता है।

अपनी दो हाथों से अपनी जमीन; या एक साइकिल खींचने वाला रिक्शा, सैकड़ों में परिवहन के मुख्य साधनों में से एक

या तो सीमांत किसान को या साइकिल-रिक्शा-खींचने वाले को जहाँ तक उनकी कमाई करने की क्षमता है, यह रास्ते का अंत होगा।

चिंतित हैं। लेकिन किसी प्रकार के कार्य में लगे व्यक्ति के मामले में

एक कार्यालय में डेस्क का काम, एक पैर के नुकसान में नहीं हो सकता है एक ही प्रभाव। एक पैर की हानि (या उस मामले के लिए पैर की हानि)

किसी भी अंग के लिए) बहुत दर्दनाक प्रभाव होने के लिए बाध्य है किसी के व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक जीवन पर लेकिन उनमें से किसी एक का नुकसान

अपने काम/कमाई की क्षमता के साथ उसी स्तर पर जिसमें एक सीमांत किसान या एक साइकिल-रिक्शा-खींचने वाले का मामला।

****

****

*

****

10. के. जनार्दन मामले में यह अदालत [(2008) 8 एससीसी 518 : (2008) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 733] ने उच्च न्यायालय [2022] 8 एस. सी. आर. को दरकिनार कर दिया।

निर्णय और अभिनिर्धारित किया कि टैंकर चालक को 100% अक्षमता और टैंकर चालक के रूप में अपनी संपत्ति अर्जित करने में असमर्थता का सामना करना पड़ा था

कामगार आयुक्त द्वारा पारित आदेश को बहाल किया गया क्षतिपूर्ति। के. जनार्दन [(2008) 8 एस. सी. सी. 518: (2008)

2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 733] इस न्यायालय ने भी संदर्भित किया और उस पर भरोसा किया

प्रताप नारायण में न्यायालय का एक पूर्व निर्णय सिंह देव बनाम। श्रीनिवास सबाता [(1976) 1 एस. सी. सी. 289: 1976 एससीसी

(एल एंड एस) 52] जिसमें एक बढ़ई जिसे विच्छेदन का सामना करना पड़ा

कोहनी से उसके बाएं हाथ को पीड़ित होने के लिए पकड़ लिया गया था

अपनी कमाई करने की क्षमता का पूर्ण नुकसान।

****

**

****

13. मुआवजे के किसी भी पैमाने को कम करने की आवश्यकता होनी चाहिए

एक काल्पनिक अनुमान से कुछ अधिक मूर्त है कि

अपना व्यवसाय बदलने या गोद लेने से आय का नुकसान आजीविका का एक और साधन। पार्टी कम की वकालत करती है

उस कारण के लिए मुआवजे की राशि का अनुरोध करना चाहिए और दिखाना चाहिए

न्यायाधिकरण के समक्ष कि पीड़ित ने कुछ कानूनी आनंद लिया

संरक्षण (जैसा कि विकलांग व्यक्तियों द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों के मामले में (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण)

और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995) या विशाल के मामले में

असंगठित क्षेत्र में आजीविका कमाने वाले लोगों की भीड़ ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके कि पीड़ित वास्तव में बदल गया था

उसका व्यवसाय या उसकी आजीविका के साधन और इस तरह के परिवर्तन से उन्हें एक निश्चित आय प्राप्त हो रही थी।

14. अपीलार्थी की अर्जित करने की क्षमता का नुकसान, तदनुसार

हमारे लिए, 100% जितना अधिक हो सकता है लेकिन किसी भी मामले में यह कम नहीं होगा

90 प्रतिशत से अधिक। हम, तदनुसार, पाते हैं और मानते हैं कि

अपीलार्थी की भावी आय के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति

मुआवजे की राशि रुपये 3,56,400 पर आएगी और 30, 000 और 15,000 रुपये की कुल राशि जोड़ने के बाद

राशि रुपये 4,01,400 होगी। अतिरिक्त मुआवजा इस राशि पर सालाना 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक। SIDRAM के साथ मुआवजे की अतिरिक्त राशि v.

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

ब्याज का भुगतान अपीलार्थी को बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए और नहीं

आज से तीन महीने बाद। "

45. एक और निर्णय, संदीप खानुजा बनाम। अतुल दांडे और

एक अन्य, (2017) 3 एस. सी. सी. 351 ने भी स्थायी अक्षमता की मात्रा का आकलन करने के सटीक पहलू पर चर्चा की थी। पीड़ित की आयु लगभग 30 वर्ष थी, जो विभिन्न संस्थानों में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में काम करती थी।

जिसके लिए उन्हें पेशेवर शुल्क का भुगतान किया जाता था। उन्हें लगी चोटों के परिणामस्वरूप उनके चलने-फिरने में गंभीर हानि हुई; क्योंकि उन्हें सीढ़ियों पर चढ़ने में समस्या, सोते समय पीठ में समस्या आदि थी। उनके पैर में एक छड़ लगाई गई थी। उन्हें 70 प्रतिशत स्थायी अक्षमता और मानसिक और शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस न्यायालय ने अक्षमता की सीमा की गणना करने के लिए उचित तरीके को देखते हुए मुआवजे को बढ़ाया। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 13. पिछले कुछ वर्षों में, इस पहलू में कानून बनाया गया है

इस न्यायालय द्वारा कुछ जालियों को हटाकर सीधा किया गया कि कुछ पर कुछ अलग विचारों के कारण बनाया गया था

पहलू। इन सभी मामलों को संदर्भित करना भी आवश्यक नहीं है। हम.

पता लगाएँ कि मुआवजे के निर्धारण का सिद्धांत

स्थायी/आंशिक अक्षमता का मामला हो गया है संबंधित मामले को संदर्भित करने के बाद पूरी तरह से निपटा गया

राज कुमार बनाम में इस विषय पर कानून। अजय कुमार [(2011) 1 एससीसी

343 : (2011) 1 एससीसी (सी. आई. वी.) 164: (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1161]

निम्नलिखित शब्दः (एससीसी पीपी। 348-50 , पैरा 8-11)

" स्थायी आय के कारण भविष्य में आय के नुकसान का आकलन

अक्षमता

8. एक्सएक्स

XX

X

X

9. स्थायी अक्षमता का प्रतिशत व्यक्त किया जाता है

प्रमाणपत्र में कहा गया है कि घायल को स्थायी रूप से नुकसान उठाना पड़ा है बाएं निचले अंग के 45 प्रतिशत की सीमा तक विकलांगता, यह नहीं है

45 प्रतिशत स्थायी अक्षमता के समान

पूरा शरीर। अंग (या अंग का हिस्सा) की अक्षमता की सीमा

निकाय) कुल कार्यों के प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त किया गया

उस अंग की सीमा को स्पष्ट रूप से नहीं माना जा सकता है

पूरे शरीर की अक्षमता। यदि 60 प्रतिशत स्थायी है दाहिने हाथ की अक्षमता और 80 प्रतिशत स्थायी अक्षमता

बाएँ पैर, इसका मतलब यह नहीं है कि स्थायी विकलांगता की सीमा [2022] 8 एस. सी. आर.

पूरे शरीर के संदर्भ में 140% (यानी 80 प्रतिशत जमा 60 प्रतिशत) है। यदि शरीर के विभिन्न अंगों को अक्षमताओं के अलग-अलग प्रतिशत का सामना करना पड़ा है, तो उनका कुल योग व्यक्त किया जाता है

पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी विकलांगता की शर्तें स्पष्ट रूप से 100% से अधिक नहीं हो सकती हैं।

10. जहाँ दावेदार स्थायी रूप से विकलांग है।

चोटों के परिणामस्वरूप, भविष्य की आय के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजे का आकलन इस बात पर निर्भर करेगा कि

उसकी कमाने की क्षमता पर ऐसी स्थायी अक्षमता का प्रभाव और प्रभाव। न्यायाधिकरण को यंत्रवत रूप से लागू नहीं करना चाहिए

स्थायी अक्षमता का प्रतिशत आर्थिक हानि या अर्जित करने की क्षमता की हानि के प्रतिशत के रूप में। ज्यादातर मामलों में,

स्थायी अक्षमता से उत्पन्न होने वाले आर्थिक नुकसान का प्रतिशत, यानी कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी अक्षमता के प्रतिशत से अलग होगा। कुछ न्यायाधिकरण गलत तरीके से यह मानते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी अक्षमता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप अर्जित करने की क्षमता का नुकसान होगा, और इसके परिणामस्वरूप, यदि प्रस्तुत साक्ष्य स्थायी अक्षमता के रूप में 45 प्रतिशत दिखाता है, तो यह माना जाएगा कि भविष्य में अर्जित करने की क्षमता का 45 प्रतिशत नुकसान होगा। में।

अधिकांश मामलों में, स्थायी अक्षमता की सीमा (प्रतिशत) के बराबर कमाई क्षमता के नुकसान की सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप या तो बहुत कम या बहुत अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

11. न्यायाधिकरण द्वारा जिसका आकलन करने की आवश्यकता है, वह है स्थायी अक्षमता का आय क्षमता पर प्रभाव।

घायल; और आय के प्रतिशत के संदर्भ में कमाई क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद, इसे धन के संदर्भ में मापा जाना चाहिए, ताकि आय के भविष्य के नुकसान पर पहुंचा जा सके (निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक गुणक विधि को लागू करके)।

निर्भरता का नुकसान)। हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कुछ मामलों में, साक्ष्य और मूल्यांकन की सराहना करने पर, न्यायाधिकरण यह पा सकता है कि स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के लगभग बराबर है, जिस मामले में, निश्चित रूप से, न्यायाधिकरण मुआवजे के निर्धारण के लिए उक्त प्रतिशत को अपनाएगा। डी. आर. ए. एम वी.

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारतआईएसयूआरएएनसीई कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

14. इस प्रकार जिस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह आकलन करना है कि क्या स्थायी विकलांगता का घायलों की कमाई क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अर्थ में, एम. ए. सी. टी. ने उपरोक्त परीक्षण को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को सही दिशा में उठाया। हालाँकि, हम महसूस करते हैं कि एम. ए. सी. टी. का निष्कर्ष उपरोक्त परीक्षण का अनुप्रयोग गलत है। एम. ए. सी. टी. द्वारा यह दृष्टिकोण रखने में एक बहुत ही अदूरदर्शी दृष्टिकोण लिया गया है कि 70 प्रतिशत स्थायी है।

अपीलार्थी की अक्षमता अपीलार्थी की अर्जित करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगी। एमएसीटी ने सोचा कि तब से

अपीलार्थी एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है, उसे बैठने का काम करना चाहिए और इसलिए, उसकी कार्य क्षमता बाधित नहीं होती है। ऐसा निष्कर्ष उचित था यदि अपीलार्थी

उस रोजगार में था जहाँ नौकरी की आवश्यकता हो सकती थी

आयकर अधिनियम के तहत अधिकारियों को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण तक प्रैक्टिस करने की अनुमति है। कई बार चार्टर्ड एकाउंटेंट माने जाते हैं अपने ग्राहकों से भी मिलें। यदि एक चार्टर्ड एकाउंटेंट मुख्य रूप से लेखा परीक्षा का काम कर रहा है, तो उसे न केवल अपने ग्राहकों से बल्कि विभिन्न अधिकारियों से भी मिलने की आवश्यकता होती है। विभिन्न कानूनों के तहत कई वैधानिक कार्य हैं जो चार्टर्ड हैं।

लेखाकार प्रदर्शन करते हैं। इस तरह के कार्यों के निष्पादन के लिए मुक्त आवाजाही शामिल है। एक व्यक्ति जो व्यस्त है और अपने कर्तव्यों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकता है, वह स्वस्थ और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति की तुलना में कमाई का मिलान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। अपीलार्थी की गतिविधियों को काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया है और वह भी कम उम्र में। हालांकि

उच्च न्यायालय ने इसे मान्यता दी, वह गुणक के सिद्धांत को लागू करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। हमारी राय है कि इस तरह के मामले में और अपीलार्थी को हुई चोटों को ध्यान में रखते हुए, अर्जित करने की क्षमता का एक निश्चित नुकसान होता है और इसे अपनाने के साथ मुआवजे के अनुदान की आवश्यकता होती है -

गुणक विधि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. अरविंद कुमार मिश्रा मामले में [अरविंद कुमार मिश्रा बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2010) 10 एस. सी. सी. 254: (2010) 4 एस. सी. सी. (सिविल) 153: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1258] निम्नलिखित के बाद

केरल एस. आर. टी. सी. बनाम में निर्णय सुसम्मा थॉमस [(1994) 2 एस. सी. सी. 176: 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 335], न्यायालय ने पीड़ित की आयु को ध्यान में रखते हुए 18 का गुणक लागू करने का फैसला किया, जो दुर्घटना के समय 25 वर्ष का था।

स्थायी विकलांगता 70 प्रतिशत है, इसके तहत मुआवजा हेड को 14,28,000 रुपये में तैयार किया जाएगा। एमएसीटी के पास था

स्थायी विकलांगता के लिए 70,000 रुपये का मुआवजा दिया गया, जिसे बढ़ाकर 14,28,000 कर दिया गया है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा और हताशा और निराशा के लिए

लाइफ, एम. ए. सी. टी. ने 30,000 रुपये की राशि प्रदान की है, जिसे हम

रुपये 1,30,000 तक बढ़ाएँ।

46. अरविंद कुमार मिश्रा (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 9. हम व्यक्तिगत चोट के लिए सभी नुकसानों के मूल्यांकन के संबंध में अधिकारियों की विस्तृत स्थिति की समीक्षा करने का इरादा नहीं रखते हैं।

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि व्यक्तिगत चोट के लिए सभी नुकसानों के मूल्यांकन का आधार मुआवजा है। पूरा विचार दावेदार को उसी स्थिति में रखना है जहाँ वह पैसे के रूप में था।

कर सकते हैं। पूर्ण मुआवजा शायद ही संभव है लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि पीड़ित ने कोई गलत काम नहीं किया है।

गलती करने वाले के हाथों पीड़ित हुआ और अदालत को उसे उसके लिए पूरा और उचित मुआवजा देने का ध्यान रखना चाहिए

पीड़ित थे।

10. कुछ मामलों में व्यक्तिगत चोट के लिए, दावा जीवन भर की कमाई के नुकसान के संबंध में हो सकता है क्योंकि, हालांकि वह जीवित रहेगा,

वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। अन्य में, आय के आंशिक नुकसान के लिए दावा किया जा सकता है। प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए और अंत में, किसी को यह पूछना चाहिए कि क्या दी गई राशि उचित और उचित राशि है। व्यक्तिगत SIDRAM v में मुआवजे का आकलन करने का पारंपरिक आधार।

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

चोट के मामले और जो अब मान्यता प्राप्त मोड है

मुआवजे का उचित उपाय किया जा रहा है

एक उपयुक्त गुणक का गुणक।

47. पप्पु देव यादव बनाम। नरेश कुमार और अन्य, ए. आई. आर. 2020 एस. सी. सी. 4424, ने यह निर्णय दिया कि अदालतों को रूढ़िवादी नहीं अपनाना चाहिए।

या अदूरदर्शी दृष्टिकोण, लेकिन इसके बजाय, इस मामले को जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए देखें, दोनों विकलांगों की सीमा के मूल्यांकन और विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे में। इस मामले में, अदालत की राय में, एक हाथ के नुकसान के परिणामस्वरूप आय अर्जित करने में गंभीर हानि हुई अपीलार्थी पर। एक टाइपिस्ट/डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, उनके हाथों का पूरा काम करना उनकी आजीविका के लिए आवश्यक था। उसकी स्थायी सीमा

अक्षमता का आकलन 89 प्रतिशत पर किया गया था; हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कुछ 'आनुपातिक' सिद्धांत के पूरी तरह से गलत अनुप्रयोग पर इसे आधा करके 45 प्रतिशत कर दिया, जो अतार्किक था और कानून में असमर्थनीय है। जैसा कि निर्णय के बाद निर्णय द्वारा जोर दिया जाता है, देखा जाना चाहिए कि चोट का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है।

पीड़ित की आय सृजन क्षमता। एक अंग (एक पैर या हाथ) की हानि और उस कारण से इसकी गंभीरता को पीड़ित के पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय के संबंध में आंका जाना चाहिए; तैयार अनुप्रयोग के लिए एक अंधा अंकगणितीय सूत्र नहीं हो सकता है।

48. उपरोक्त व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम मुआवजे में वृद्धि के लिए अपीलार्थी के दावे की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया।

रिकॉर्ड पर चिकित्सकीय प्रमाण

49. अपीलार्थी का इलाज करने वाले डॉ. अनिल बी. पाटिल (पीडब्लू-2) ने एक विकलांगता प्रमाण पत्र (एक्स. पी-8) जिसमें निम्नलिखित कहा गया हैः

" यह प्रमाणित करने के लिए कि मैंने जाँच की है, श्री सिदराम राजू भोसले। आयु-कुलगोड के 19 वर्ष/एम। ओ. पी. डी. संख्या-19441 दिनांक-18/07/2012

लेकव्यू अस्पताल में। वह मूल्यांकन के लिए मेरे पास आया है

रिकॉर्ड के अनुसार स्थायी शारीरिक अक्षमता प्रमाण पत्र

रोगी द्वारा दिखाई गई चोटों को नोट किया गया था। रोगी को लगभग 1 बजे 18/7/2012 समय पर सड़क यातायात दुर्घटना का सामना करना पड़ा थाः 30 लक्ष्मीश्वर के पास शाम को गोकाक जिला-बेलगाम को पार करें। उन्हें बेलगाम के मेरे लेकव्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

4/5/09 पर उपचार

एमएलसी संख्या-बाहरी संख्या-बीएचएसएलवीएच/एमआरडी एमएलसी

सं. 229 दिनांकित 18/07/12 [2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रवेश की तिथि-18/7/2012

निदान फ्रैक्चर डी 12 पैराप्लेजिया के साथ कशेरुका।

हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स के साथ 1 से 6 पसलियों का फ्रैक्चर, शल्य चिकित्सा

एम्फिसेमा।

एक्स-रे रिपोर्टः

-फट फ्रैक्चर डी 12 कशेरुका। एक्स-रे नं. - 9832 दिनांक 23/07/2012

-हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स के साथ 1 से 6 पसलियों का फ्रैक्चर, शल्य चिकित्सा एम्फिसेमा। एक्स-रे नं. - 753 दिनांकित 18/07/2012।

सी. टी. चेस्ट (प्लेइन): 18/07/2012 पर

-दाहिनी पहली से छठी पसलियों का पीछे/बगल के पहलू के साथ फ्रैक्चर।

-दायीं ओर न्यूमोमेडियास्टिनम के साथ सकल हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स/हीमोथोरैक्स मीडियास्टिनम के सकल बदलाव का कारण बनता है।

बायीं ओर और दाहिने फेफड़े का आंशिक पतन।

-दाएँ ऊपरी लोब में सिस्टिक घाव (दो)? दाहिने फेफड़े के एस/ओ संदूषण में द्रव स्तर ए/डब्ल्यू पैची अपारदर्शिता के साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक।

-डी12 वर्टिब्रल बॉडी का फटने वाला पूर्ववर्ती वेज संपीड़न फ्रैक्चर जिसमें दोनों पेडिकल्स प्रतिक्षेप के साथ शामिल हैं।

मामले की जाँच 1. इतिहास.

2 - नैदानिक परीक्षण पर 1 - वर्तमान में रोगी की शिकायतों का इतिहास

-बैठने और पैर पार करने में असमर्थता। -खड़े होने में असमर्थता और वैले DRAM v.

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारत[सरांस कं. लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

2 - ऑन. नैदानिक परीक्षण। .

निरीक्षणः -रैखिक निशान जो फ्रंट 1 डी. एस. से एल 5 तक फैला हुआ है

रीढ़।

-छाती के दाहिने तरफ के पूर्ववर्ती पार्श्व पहलू पर निशान -बैठने और क्रॉस लेग बैठने में असमर्थ।

दाएँ घुटने का ग्रेड 3-4

-बाएँ घुटने की हरकतें

फ्लेक्शन ग्रेड 2

विस्तार ग्रेड 3

मांसपेशियों की बर्बादी

बछड़ा और जांघ की मांसपेशियाँ + +

एक्स-रे शो-एक्स-रे नंबर। 2852 दिनांकित 29.07.2013

पुराने फ्रैक्चर डी 12 को स्थान पर प्रत्यारोपण के साथ। देखी गई कार्य अक्षमता

-बाएँ घुटने और बाएँ पैर में दर्द और दोनों पैरों में कमजोरी

खड़े होने और चलने में असमर्थता।

-बैठने और क्रॉस लेग बैठने में असमर्थ।

निष्कर्ष

मेरी राय है कि नैदानिक संकेतों पर विचार करते हुए रेडियोलॉजिकल निष्कर्षों में रोगी को कुल स्थायी पाया गया है

डी. आई. फ्रैक्चर और बैठने और चलने में असमर्थता के साथ तंत्रिका संबंधी कमजोरी के संबंध में पूरे शरीर में 45 प्रतिशत की शारीरिक अक्षमता।

स्थान-बेलगाम "

50. डॉ. पाटिल (पीडब्लू-2) ने अपने मौखिक साक्ष्य में कहा हैः

" मेरा कहना है कि वर्तमान में याचिकाकर्ता दर्द की शिकायत करता है और

दोनों पैरों और पीठ में कमजोरी। बैठने में असमर्थता

बैठे क्रॉस पैर। खड़े होने और चलने में असमर्थता। और क्लीनिस पर

याचिकाकर्ता की जाँच से पता चलता है कि निरीक्षण कतारबद्ध है

रीढ़ की हड्डी पर मौजूद डी5 से एल5 तक फैले निशान, वहाँ चेज़ के दाहिने तरफ के पूर्ववर्ती पार्श्व पहलू पर निशान

बैठने और क्रॉस लेग बैठने में असमर्थ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मैं बताता हूं कि बाएं घुटने के झुकने की गति-2, विस्तार की गति-3, दाएं घुटने की गति-3-4 और गति -

बायां पैर, प्लैंटर-ग्रेड-1 डॉर्सिफ़्लेक्शन-ग्रेड-3 और बायां पैर ग्रेड-3-4 और पिंडली और जांघ की मांसपेशियों को बर्बाद करना + +

इसके अलावा मैं कहता हूं कि 29-07-2013 पर ली गई एक्स-रे से पता चलता है कि पुराने फ्रैक्चर D12 को स्थान पर प्रत्यारोपण के साथ, याचिकाकर्ता को देखी गई कार्यात्मक अक्षमता इस प्रकार हैः - बाएँ घुटने और बाएँ पैर में दर्द और दोनों पैरों में कमजोरी और असमर्थता

खड़े होने और चलने के लिए, बैठने और क्रॉस लेग बैठने में असमर्थ।

इसके अलावा मैं कहता हूं कि याचिकाकर्ता को भविष्य में चिकित्सा की आवश्यकता है

खर्च एक करोड़ रुपये होगा। 2,50,000 / - .

नैदानिक संकेतों और रेडियोलॉजिकल पर विचार करने के बाद

यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता को डी-12 फ्रैक्चर और खड़े होने, बैठने और बैठने में असमर्थता के साथ तंत्रिका संबंधी कमजोरी के संबंध में पूरे शरीर में 45 प्रतिशत की कुल स्थायी शारीरिक अक्षमता मिली है।

पैदल चलें। मैंने याचिकाकर्ता को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया है और इसमें मेरे हस्ताक्षर हैं और कहा है कि विकलांगता प्रमाण पत्र है

पहले से ही एक्स. पी.-8 के रूप में चिह्नित है और अब मेरे हस्ताक्षर चिह्नित हैं

ई. एक्स. पी. के रूप में-8 (ए), (बी), (सी) "।

51. मालिक के कहने पर उसकी प्रतिपरीक्षा में

ले, उन्होंने पदच्युत किया हैः -

यह कहना गलत है कि भविष्य में चिकित्सा उपचार का खर्च बढ़ेगा। रु. 2,50,000 / - . यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ता सक्षम है

चलें, पहले की तरह खड़े रहें। यह कहना गलत है कि मदद करने के लिए

याचिकाकर्ता मैं झूठ बोल रहा हूँ। "

52. प्रतिपरीक्षा में बीमा के संदर्भ में

जो भी हो, उसने पदच्युत कर दिया हैः

डी. आर. ए. एम वी. द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारत[सरांस कं. लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" यह सच है कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं न्यूरो सर्जन नहीं हूं। यह कहना गलत है कि मैं पैराप्लेजिया का विकलांगता प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत हूं। यह सच है कि मुझे इस मामले के लिए कोई अदालती समन नहीं मिला है। मुझे याचिकाकर्ता के व्यवहार के बारे में पता नहीं है। यह सच है कि याचिकाकर्ता को सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। यह गलत है कि जन्म से यह

याचिकाकर्ता को इस प्रकार की चोट लगी है। यह सच है कि याचिकाकर्ता ने हमारे अस्पताल से उचित उपचार लिया है। यह सच है कि अच्छी तरह से ठीक होने के बाद उन्हें हमारे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यह सच है कि मैंने उन्हें अनुवर्ती उपचार लेने की सलाह दी है।

यह सच है कि याचिकाकर्ता ने अनुवर्ती उपचार लिया है। यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुवर्ती उपचार नहीं लेने के कारण यह चोट बिगड़ गई है। यह कहना गलत है कि पेड़ से गिरने से इस तरह की चोट लग सकती है। यह गलत है कि पसलियों के फ्रैक्चर के कारण पैराप्लेजिया नहीं हो सकता है। बर्स्ट फ्रैक्चर डी-12 कशेरुका पैराप्लेजिया का कारण बना है। यह कहना गलत है कि यह चोट आकस्मिक चोट नहीं है। यह सच नहीं है कि याचिकाकर्ता को मुआवजा प्राप्त करने में मदद करने के लिए, मैं झूठा बयान दे रहा हूं। यह गलत है कि मैंने निर्वहन से पहले और निर्वहन के बाद एक्स-रे देखी है। यह सच है कि निर्वहन एक्स-रे देखने के बाद याचिकाकर्ता में सुधार हुआ। यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ता ने आपकी मुख्य परीक्षा में बताए अनुसार काम किया है। यह सच है कि मूल्यांकन के आधार पर मैंने एलिम्को का उल्लेख किया है।

यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ता ठीक से चलने, खड़े होने में असमर्थ है। यह कहना गलत है कि मैंने याचिकाकर्ता की मदद के लिए अधिक साइड मेडिकल बिल दिए हैं। यह गलत है कि चोटें सरल प्रकृति की होती हैं। यह सच है कि मैंने पूरे शरीर को अक्षमता दी है और यह उच्चतर पक्ष है। यह गलत है कि याचिकाकर्ता की मदद करने के लिए पूरे शरीर की अक्षमता 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच आती है। मैं हूँ।

आर्थिक व्यय (1) अक्षमता के कारण कमाई का नुकसान

53. अदालतों को पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे का पता लगाते हुए गुणक विधि को लागू करना चाहिए। यह इस तरह से आयोजित किया गया था

टी सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम। दिल्ली परिवहन

भाषण और एक और, (2009) 6 एस. सी. सी. 121। सरला वर्मा (ऊपर) में, न्यायालय ने केरल एस. आर. टी. सी. बनाम से निम्नलिखित टिप्पणियों का हवाला दिया।

एम. ए. थॉमस, (1994) 2 एस. सी. सी. 176:

" गुणक विधि में नुकसान का पता लगाना शामिल है।

मामले की परिस्थितियाँ और एक उपयुक्त गुणक द्वारा गुणक को बड़ा करना। गुणक का चुनाव मृतक की उम्र (या दावेदारों की जो भी अधिक हो) से निर्धारित किया जाता है और इस गणना से कि यदि एक स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज के रूप में कौन सी पूंजी राशि प्राप्त होगी। इसे सुनिश्चित करने में, इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंततः पूंजी राशि भी होनी चाहिए खपत - उस अवधि के दौरान जिसके लिए निर्भरता रहने की उम्मीद है।

यह दोहराना आवश्यक है कि गुणक विधि तार्किक रूप से मजबूत और कानूनी रूप से अच्छी तरह से स्थापित है। कुछ ऐसे मामले हैं जो जीवन प्रत्याशा खोने की अवधि के लिए भविष्य की पूरी कमाई को एकत्रित करने के आधार पर मुआवजे का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़े हैं, भविष्य के जीवन की अनिश्चितताओं के लिए उसमें से एक प्रतिशत काट लिया है और परिणामी राशि को मुआवजे के रूप में प्रदान किया है। यह स्पष्ट रूप से अवैज्ञानिक है। उदाहरण के लिए, यदि मृतक 25 वर्ष का था।

मृत्यु का समय और जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है, यह विधि लगभग 45 वर्षों के लिए निर्भरता के नुकसान को गुणा करेगी

45 प्रतिशत के गुणक को अपनाना और भविष्य के जीवन की अनिश्चितताओं और तत्काल एकमुश्त भुगतान के लिए यदि उसमें से एक तिहाई या एक चौथाई की कटौती की जाती है, तो भी प्रभावी

गुणक 30 और 34 के बीच होगा। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य "।

54. न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि इसमें अपीलार्थी ने दावा किया था कि वह रु। 9,000 / - बर्तनों की बिक्री के अपने व्यवसाय से प्रति माह, फिर भी अपीलार्थी उस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं था। यद्यपि डॉ. अनिल बी. पाटिल (पीडब्लू-2) ने अपने मौखिक साक्ष्य में कहा है कि अपीलार्थी को स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है। 45 प्रतिशत तक, फिर भी न्यायाधिकरण ने माना कि अपीलार्थी को केवल 30 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा था। न्यायाधिकरण ने सरला वर्मा (उपरोक्त) के मामले में बताए गए गुणक को लागू किया। तदनुसार, अर्जित करने की क्षमता के नुकसान के लिए दिए गए मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया गया था:

5000 x 12 x 18 x 30% = INR 3,24,000/SIDRAM v।

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

55. उच्च न्यायालय ने आय को बढ़ाकर रु। 7,000 / - यह कहते हुए कि इसका निर्धारण निचली तरफ के न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि उपचार करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी की स्थायी अक्षमता 40 प्रतिशत निर्धारित की जानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने गुणक लागू करते समय, नुकसान के शीर्ष के तहत दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया

आय क्षमता रु। 7,000 / - , निम्नानुसारः

7,000 x 12 x 18 x 40% = INR 6,04,800 /

56. अभिलेख पर साक्ष्य इंगित करता है कि अपीलार्थी को दुर्घटना के कारण पैराप्लेजिया का सामना करना पड़ा। पैराप्लेजिया शरीर के निचले हिस्से के पक्षाघात का एक रूप है। यह रोजमर्रा की दिनचर्या को विशेष रूप से शारीरिक गतिविधि को प्रतिबंधित करता है और (i) जीवन के सरल सुखों और सुविधाओं से वंचित करता है, (ii) कमाई करने की क्षमता में कमी, (iii) निरंतर देखभाल, चिकित्सा उपचार और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली दीर्घकालिक माध्यमिक जटिलताओं, (iv) असहायता, अवसाद, क्रोध, तनाव, चिंता आदि की भावना। संक्षेप में, पैराप्लेजिया शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बाधित करता है और

पीड़ित के सामाजिक और वित्तीय कल्याण पर विनाशकारी प्रभाव।

प्रभावित हुए। इसके अलावा, दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु केवल 19 वर्ष थी। उच्च न्यायालय ने उनकी अनुमानित आय को रुपये से बढ़ा दिया। 5,000 / - रु. तक। 7,000 / - प्रति माह। अपीलार्थी ने दावा किया कि उसकी अनुमानित आय रु। 9,000 / - . 58. कीर्ति और अन्य के मामले में यह न्यायालय v. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2021) 2 एस. सी. सी. 166, पीड़ित की आय साबित करने के मुद्दे पर चर्चा करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

" 39. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, पहले उल्लिखित मामलों की पहली श्रेणी में अदालत द्वारा निर्धारित काल्पनिक आय के संबंध में स्थिति काफी स्पष्ट है, जहां पीड़ित नियोजित साबित होता है लेकिन दावेदार अदालत के समक्ष आय साबित करने में असमर्थ होते हैं। एक बार जब पीड़ित किसी उद्यम में कार्यरत साबित हो जाता है, तो आवश्यक

परिणाम यह है कि वे आय अर्जित कर रहे होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. इस प्रकार, हमारा विचार है, विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए।

कीर्ति (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का आदेश कि यह आवश्यक नहीं है

की काल्पनिक आय को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना

पीड़ित और न्यायालय किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में भी समान पुरस्कार दे सकते हैं। कीर्ति (उपर्युक्त) के मामले में यह कहा गया था कि न्यायालय को विधि का चयन करते समय और काल्पनिक आय निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ही सही है, न तो मुआवजे का आकलन बहुत रूढ़िवादी रूप से किया जाए और न ही बहुत उदारता से।

60. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम आश्वस्त हैं कि हम

इसमें अपीलार्थी की अनुमानित आय रुपये निर्धारित की जानी चाहिए। 8,000 / - प्रति माह। इसके परिणामस्वरूप मुआवजे को निम्नानुसार बढ़ाया जाएगाः

$$8000 \times 12 \times X\ 18 \times 45\% = \text{INR } 7,77,600 /$$

(2) 6 महीने से कमाई का नुकसान

61. उपरोक्त शीर्ष के तहत मुआवजा दिया गया था

न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय। न्यायाधिकरण ने केवल रु। 40,000 / इस सिर के नीचे। उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। 42,000 / - .

62. हम छह महीने के लिए कमाई के नुकसान के भुगतान को बरकरार रखते हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त और संशोधित आय को लागू करते हुए, निम्नानुसार वृद्धि की जाएः

$$8000 \times 6 = 48,000/-\text{ रु.}$$

(3) चिकित्सा खर्च

63. अपीलार्थी रुपये का दावा करता है। 2,00,000 / - चिकित्सा खर्चों के लिए।

इस संबंध में, अपीलार्थी ने चिकित्सा बिलों/प्राप्तियों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जैसा कि न्यायाधिकरण के आदेश में कहा गया है।

64. न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 21.01.2014 के आदेश में कहाः

" चिकित्सा खर्चः दावेदार ने कहा कि उसने लिया है

बेलगाम के लेक व्यू अस्पताल में इलाज किया और घर के अंदर था

रोगी। उन्होंने अस्पताल के बिल और मेडिकल बिल पेश किए हैं।

रु. की धुन। 1,54,931 / - . उसी को गोल किया गया है रु. 1,50,000/- और याचिकाकर्ता रु. 1,50,000/का हकदार है।

इस सिर के नीचे "।

[जोर दिया गया] SIDRAM v.

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

65. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले के पैरा 11 में कहाः

" दर्द के सिर के तहत दिया गया मुआवजा और

पीड़ा, चिकित्सा खर्च, परिवहन, विशेष आहार, आदि, जीवन में सुविधाओं का नुकसान और विवाह की संभावनाएं उचित और उचित हैं।

उचित और एक ही परेशान नहीं है "।

66. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं

रु. 1,55,000 / - चिकित्सा खर्चों के लिए।

(4) भविष्य के चिकित्सा खर्च

67. शुरुआत में, हम यह कह सकते हैं कि "भविष्य के चिकित्सा खर्च" और "परिचर शुल्क" विशिष्ट धन के दायरे में आएंगे।

खर्च। अभिमन्यु प्रताप सिंह बनाम। नमिता सेखों और अन्य, (2022) 8 एस. सी. सी. 489, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 19. उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्षतिपूर्ति कर सकते हैं

आर्थिक शीर्षों अर्थात भविष्य की कमाई के नुकसान, भविष्य के चिकित्सा खर्चों सहित चिकित्सा खर्चों, परिचर शुल्कों और भविष्य सहित परिवहन के शीर्ष में भी मूल्यांकन किया जाएगा।

परिवहन। गैर-आर्थिक शीर्षों में, क्षतिपूर्ति

मानसिक और शारीरिक दर्द के लिए गणना की जा सकती है और

वर्तमान और भविष्य में पीड़ा, सुविधाओं का नुकसान

वैवाहिक सुख की हानि, जीवन में प्रत्याशा की हानि, असुविधा, कठिनाई, असुविधा, निराशा सहित जीवन,

कुंठा, जीवन में मानसिक पीड़ा, आदि।

68. न्यायाधिकरण ने पाया है कि डॉक्टर ने बयान दिया है कि अपीलार्थी को रुपये खर्च करने की संभावना है। 2,50,000 / - भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए। हालाँकि, न्यायाधिकरण के अनुसार, इस शीर्ष के तहत उस संबंध में पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं थे। तदनुसार, न्यायाधिकरण ने एक करोड़ रुपये का आदेश दिया। 25,000 / - . उच्च न्यायालय ने भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए कोई राशि नहीं देने को उचित समझा क्योंकि अपीलार्थी द्वारा भविष्य के उपचार के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया था जिसकी आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करना उचित समझा कि यदि अपीलार्थी को

लगी चोट के कारण भविष्य में किसी सर्जरी या उपचार के लिए कोई खर्च करना पड़ता है और यदि वह वही साबित करता है, तो बीमाकर्ता उसी की क्षतिपूर्ति करेगा।

69. डॉ. अनिल बी. पाटिल (पीडब्लू-2) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी को भविष्य के चिकित्सा खर्चों की आवश्यकता होगी

रु. 2,50,000 / - . हमारा विचार है कि [2022] 8 एस. सी. आर. पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए।

फिजियोथेरेपी और नर्सिंग के साथ भविष्य में खर्च और यह देखते हुए कि दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष थी, आज उसकी आयु यह लगभग 29 साल का होगा, भले ही न्यूनतम रु। 1000 / - प्रति माह खर्च किया जाता है, फिर यह आता हैः

$$1000 \times 12 \times 18 = \text{रु. } 2,16,000 /$$

70. विजयकुमार बाबूलाल मोदी बनाम। गुजरात राज्य (हटाया गया) और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात

7349 , गुजरात उच्च न्यायालय के पास इस पहलू पर विचार करने का अवसर था। उच्च न्यायालय ने कहाः

" जहाँ तक भविष्य के चिकित्सा खर्चों का सवाल है, याचिका में दावा की गई राशि रु। 2 लाख, जबकि न्यायाधिकरण ने रुपये का पुरस्कार देना उचित समझा है। 25,000 = 00 .

हमने देखा है कि आज तक घायल पैराप्लेजिया के कारण 100% विकलांग हैं। उसका अपनी आंतों पर कोई नियंत्रण नहीं है या

मूत्राशय। इस प्रकार के मामलों में फिजियोथेरेपी आदि जैसे उपचार को बहुत लंबे समय तक देने की आवश्यकता होती है। द.

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी का महत्व

आर. डी. हट्टंगड़ी (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुर्घटनाओं पर विस्तार से जोर दिया गया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी खर्चों का लेखा-जोखा रखा जाए और प्रत्येक मद के लिए उचित राशि प्रदान की जाए। मुद्रा के घटते मूल्य को याद रखना भी महत्वपूर्ण है। घायलों की जीवन प्रत्याशा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम.

यह महसूस करना कि चिकित्सा विज्ञान आदि में प्रगति को देखते हुए ऐसे मामले में पीड़ित की जीवन प्रत्याशा को कम से कम 55 वर्ष माना जा सकता है। दुर्घटना की तारीख को दावेदार की आयु 17 वर्ष थी, जिसका अर्थ है कि दुर्घटना की उस तारीख से जीवन प्रत्याशा की शेष अवधि 38 वर्ष यानी 1991 से 2029 तक होगी। इसलिए, हम प्रस्ताव करते हैं

भविष्य के चिकित्सा खर्चों का आकलन करने के लिए लगभग रु। 1,000 = 00 प्रति माह। उस स्थिति में, पर्याप्त राशि जो हो सकती है भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 1 लाख। इसलिए हम रुपये की राशि बढ़ाते हैं। 25,000-00 सम्मानित किया गया

भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए रु। 1 लाख '।

71. संजय वर्मा बनाम। हरियाणा रोडवेज, (2014) 3 एस. सी. सी. 210, दावेदार की आयु 25 वर्ष थी और वह पूरी तरह से विकलांग था। यह

न्यायालय ने तदनुसार निर्णय दियाः

SIDRAM v. द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" 20. जहाँ तक "भविष्य के उपचार" का संबंध है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि दावेदार को उपचार लेने की आवश्यकता होगी।

क्या दावा किया गया है (नागप्पा बनाम। गुरुदयाळ सिंह [(2003) 2 एस. सी. सी. 274: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 523]), वर्तमान मामले के तथ्यों में हमारा विचार है कि पूर्ण मुआवजे का अनुदान, जैसा कि दावा याचिका में दावा किया गया है, अर्थात् 3,00,000 के तहत प्रमुख "भविष्य का उपचार", न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। हम,

इसलिए, तदनुसार आदेश दें।

72. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रु। 2,16,000 / - भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए।

(5) परिचर शुल्क

73. जहाँ तक इस शीर्ष का संबंध है, न तो न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने कुछ भी निर्णय देना उचित समझा। अभिलेख पर साक्ष्य

यह इंगित करता है कि अपीलार्थी खड़े होने, चलने, बैठने या अपने शरीर को मोड़ने या कुछ भी भारी उठाने में असमर्थ है। यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी उसी तरह से काम नहीं कर पाएगा जैसे वह दुर्घटना से पहले करता था। निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी दुर्घटना के कारण पैराप्लेजिया से पीड़ित है और उसे पूरे दिन एक परिचारक की आवश्यकता होती है। दावेदार के अनुसार, परिचारक को रखने की लागत रु। 4,500 / - प्रति माह। हम इसे रुपये में ठीक करते हैं। 2,000 / - प्रति माह। परिणामस्वरूप, हम परिचर शुल्क निम्नानुसार प्रदान करते हैं:

2,000 × 12 × 18 = रु. 4,32,000 /

74. अभिमन्यु प्रताप सिंह (ऊपर) में, दावेदार 100% अक्षमता से पीड़ित था और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 16. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में [अभिमन्यु प्रताप सिंह बनाम। नमिता सेखों, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 6271] ने कहा कि दावेदार ने अब एक वकील के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए, 16 के गुणक को लागू करते हुए, आय के भविष्य के नुकसान की गणना केवल 10 वर्षों के लिए की गई है, इस तथ्य को देखे बिना कि दावेदार अन्य अधिवक्ताओं के समान वकालत का काम नहीं कर सकता है। विभिन्न न्यायालयों में मामलों में भाग लेना। परिचर शुल्क की अनुमति केवल एक परिचर के साथ 20 वर्षों के लिए दी गई है।

वास्तव में, न केवल भविष्य में कमाई के नुकसान के निर्धारण के लिए बल्कि परिचर शुल्क के लिए भी गुणक विधि का पालन किया जाना चाहिए।

17. गुणक विधि को सबसे अधिक मान्यता दी गई है। यथार्थवादी और उचित क्योंकि यह देखने के लिए तय किया गया है

आयु, मुद्रास्फीति दर, जीवन की अनिश्चितता और अन्य यथार्थवादी

आवश्यकताएँ। इस प्रकार, न्यायसंगत मुआवजे के निर्धारण के लिए

मृतक या घायल के परिवार के साथ न्याय, जैसा भी मामला हो, मुआवजे का निर्धारण आवेदन करके किया जा सकता है

उक्त विधि। इसलिए, हमारे विचार में न्यायाधिकरण, जबकि

भविष्य में होने वाले नुकसान के साथ-साथ कमाई का मुआवजा देना।

केवल 10 वर्षों के लिए और केवल 20 वर्षों के लिए परिचर शुल्क

उचित नहीं था। वास्तव में, उक्त राशि निर्धारित की जानी चाहिए। गुणक विधि को लागू करना।

**

**

*

*

*

23. चिकित्सा खर्च के शीर्ष में, एम. ए. सी. टी. या उच्च

अदालत ने संभवतः कोई मुआवजा नहीं दिया है क्योंकि

दावेदार की माँ, जो उस समय नाबालिग थी दुर्घटना, चिकित्सा खर्च की राशि का दावा किया हो सकता है

एक आई. ए. एस. अधिकारी होना। लेकिन अब दावेदार बड़ा हो गया है, और चोटों की प्रकृति, भविष्य के चिकित्सा खर्चों को देखते हुए

जिसमें परिचर शुल्क, डायपर का उपयोग शामिल है

पेशाब की इंद्रियों के नुकसान की गणना करने की आवश्यकता है जिसमें शामिल हैं

भविष्य के चिकित्सा खर्च। न्यायाधिकरण ने रुपये 1,92,000 का फैसला सुनाया।

परिचर शुल्क के शीर्ष पर 1000 रुपये प्रति रात। जबकि उच्च न्यायालय ने इस परिसर पर कार्यवाही की कि

तथापि, परिचर शुल्क प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद परिवर्तनशील होता है।

अदालत ने इसके बाद 2000 रुपये की राशि की गणना की।

4000 20 वर्ष की अवधि के लिए पी. एम. और तदनुसार निर्धारित रुपये 9,00,000 ने उक्त में रुपये 7,08,000 की वृद्धि की

सिर। जैसा कि चर्चा की गई है, यदि हम गुणक विधि को लागू करते हैं और

(2020) 4 एससीसी 413: (2020) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 27: (2020) 2 एससीसी (क्रि) 577], हम 5000 रुपये पर परिचर शुल्क की दर स्वीकार करते हैं।

पी. एम. 12 घंटे के लिए, चोटों की प्रकृति को देखते हुए और

अक्षमता दावेदार को कम से कम दो परिचारकों की आवश्यकता होती है 24 घंटे फिर परिचर के प्रमुख में खर्च डी. आर. ए. एम. v.

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारतआईएसयूआरएएनसीई कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

यह 10,000 रुपये पर आता है। यदि हम 18 के गुणक को लागू करते हैं, तो राशि 21,60,000 रुपये में आती है। ”

75. विजयकुमार बाबूलाल मोदी (ऊपर) मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने कहाः

" यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अपनी दैनिक गतिविधियों में सहायता करने के लिए एक परिचारक की आवश्यकता होगी। हालांकि, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने कहा कि इसके लिए रुपये के खर्च की आवश्यकता होगी। 3,000 = 00 प्रति माह। न्यायाधिकरण ने एक करोड़ रुपये की राशि का आदेश दिया है। 15,000 = 00 ,

जबकि दावेदार का दावा रु। 4 लाख।

जैसा कि आर. डी. हट्टंगड़ी (उपर्युक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायालय को गृह परिचारक पर खर्च की गणना करने में गणितीय होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राशि तय करने के लिए समाज में प्रचलित परिस्थितियों को देखना चाहिए। आर. डी. में उच्चतम न्यायालय।

हट्टंगड़ी का मामला (ऊपर) निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

“ 9. XXX

XXX

10. XXX

XXX

11. मामले में वार्ड वी। जेम्स, 1965 (1) ऑल ईआर 563, यह था

उन्होंने कहाः

" हालाँकि आप किसी व्यक्ति को उसके "खोए हुए वर्षों" के लिए इतना गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकते हैं, हालाँकि, आप उसकी छोटी अवधि के दौरान, यानी उसके अपेक्षित "जीवित रहने के वर्षों" के दौरान उसके नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आप उस समय के दौरान उसकी कमाई के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, और उपचार, नर्सिंग और उपस्थिति के खर्च की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन आप उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं?

असहाय को अमान्य कर दिया गया? मस्तिष्क की चोट के कारण, वह अपने शेष दिनों के लिए बेहोश हो सकता है, या पीठ की चोट, अपने बिस्तर से उठने में असमर्थ होना। उन्होंने वह सब कुछ खो दिया है जो जीवन को सार्थक बनाता है। पैसा उसके लिए अच्छा नहीं है। फिर भी न्यायाधीशों और निर्णायक मंडल को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा और उन्हें वह देना होगा जो उन्हें उचित लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इसे अच्छी तरह से पाते हैं

लगभग अघुलनशील। उन्हें गणना करने के लिए कहा जा रहा है अकल्पनीय। यह आंकड़ा अधिकांश भाग के लिए एक पारंपरिक राशि होना तय है। न्यायाधीशों ने एक पैटर्न तैयार किया है, और वे इसे धन के मूल्य में परिवर्तन के अनुरूप रखते हैं। "[2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी प्रकृति में जब भी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय को दुर्घटना के मामलों में मुआवजे की राशि तय करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें कुछ अनुमान कार्य, कुछ काल्पनिक विचार, कुछ सहानुभूति शामिल होती है जो दुर्घटना की प्रकृति से जुड़ी होती है।

अक्षमता के कारण। लेकिन उपरोक्त सभी तत्वों को वस्तुनिष्ठ मानकों के साथ देखा जाना चाहिए।

12. सी. के. सुब्रमण्यम के मामले में उच्चतम न्यायालय

अय्यर बनाम। टी. कुन्हीकुट्टन नायर, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 376, इस संबंध में

घातक दुर्घटना अधिनियम के साथ देखा गया हैः

" हर्जाना के आकलन में, न्यायालय को सभी को बाहर करना चाहिए

13. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, चौथा संस्करण, खंड। 12 पृष्ठ 446 पर गैर-आर्थिक नुकसान के बारे में कहा गया हैः " गैर-आर्थिक नुकसानः पैटर्नः दर्द और पीड़ा और सुविधा के नुकसान के लिए दिए गए नुकसान एक पारंपरिक गठन करते हैं

राशि जिसे वह राशि माना जाता है जिसे समाज उचित मानता है, न्यायालयों द्वारा पिछले निर्णयों के आलोक में निष्पक्षता की व्याख्या की जा रही है। इस प्रकार पारंपरिक सिद्धांतों का एक समूह विकसित किया गया है जो विभिन्न चोटों की तुलनात्मक गंभीरता के लिए एक अस्थायी मार्गदर्शन प्रदान करता है, और नुकसान के एक कोष्ठक का संकेत देता है जिसमें वर्तमान में एक विशेष चोट गिर जाएगी। वादी की विशेष परिस्थितियाँ, जिसमें उसकी उम्र और किसी भी असामान्य अभाव का सामना करना पड़ सकता है, परिलक्षित होती हैं।

अलग-अलग मामलों में भिन्नताएँ "। हमें लगता है कि एक गृह परिचारक रखने की औसत लागत लगभग रु। 1,000 = 00 अवधि के लिए प्रति माह

जीवन प्रत्याशा। तदनुसार, एक परिचारक पर वार्षिक खर्च रु। 12,000-00 . इसलिए, हम प्रस्ताव करते हैं

परिचर के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर रु। 1 लाख।

76. इस प्रकार, हम रुपये की राशि प्रदान करते हैं। 4,32,000 / - दांत शुल्कों की ओर।

डी. आर. ए. एम वी. द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारतआईएसयूआरएएनसीई कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(6) मुकदमेबाजी खर्च

77. न्यायाधिकरण ने राष्ट्र के खर्चों के लिए कुछ भी अधिनिर्णय नहीं देना उचित समझा। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि अपीलार्थी को रुपये की राशि दी गई है। 20,000 / - मुकदमेबाजी के खर्चों की ओर।

अपीलार्थी रुपये का दावा करता है। 50,000 / - मुकदमेबाजी के खर्चों की ओर।

78. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि दुर्घटना हुई थी। 2012 . अपीलार्थी विगत लगभग ए. आर. एस. से इस मुकदमे की पैरवी कर रहा है। इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी 2018 में दायर की गई थी। चार हो चुके हैं।

तब से।

79. गोविंद यादव (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 12. ..... कभी-कभी देरी और मुकदमेबाजी के खर्च होते हैं।

न्यायाधिकरण और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार

(अपील में) अर्थहीन। "

80. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गोपाली और

आरएस, (2012) 12 एससीसी 198, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 1. ..... भारत को फलने-फूलने के लिए सराहा जाता है

संवैधानिक आदेश, एक आविष्कारशील और सक्रिय न्यायपालिका, एक कुशल बार द्वारा सहायता प्राप्त और राज्य द्वारा समर्थित। हालांकि,

अदालतें और न्यायाधिकरण, जिनसे नागरिकों से अपेक्षा की जाती है

वास्तविक खर्च और खोए हुए अवसरों दोनों के संदर्भ में मुकदमेबाजी की लागत और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के प्रशंसनीय लक्ष्य के कारण वंचित और गरीब न्याय तक पहुंच से वंचित हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक भ्रम बना हुआ है

उनके लिए।

2. अदालतों का बुनियादी ढांचा और उन्हें नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाएं गरीबों के लिए दुर्गम हैं। राज्य, जिसे संविधान के अनुच्छेद 39-ए द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि कानूनी प्रणाली के संचालन से न्याय को बढ़ावा मिलता है

मुफ्त कानूनी सहायता और [2022] 8 एस. सी. आर. हासिल करने के अवसर प्रदान करना।

आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं किया जाता है, गरीबों को न्याय सुलभ बनाने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाने में सक्षम नहीं है,

दलित और वंचित। पिछले ढाई दशकों में कानूनी सेवा प्राधिकरणों की संस्था ने गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की है, लेकिन समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग और निरक्षरता और अज्ञानता जैसी अन्य अक्षमताओं से पीड़ित लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

3. हमने 22-3-2007 [न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी] के आदेश के खिलाफ दायर इस याचिका के निपटारे को पहले ही पेश कर दिया है।

लिमिटेड वी. शिव चंद, 2005 की विशेष अपील सिविल (एस. ए. सी.) संख्या 49, दिनांक 22-3-2007 (राज), राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित की गई, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अपील को उपरोक्त टिप्पणियां करके विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया गया था, क्योंकि पिछले लगभग 20 वर्षों में दावेदार-नानाग राम के वृद्ध माता-पिता, पत्नी और पांच बच्चे, जो 1992 में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, ने उच्च न्यायालय के चरण तक मुकदमा चलाने और मुकदमे को लड़ने में अपने सभी संसाधन समाप्त कर दिए होंगे और उनके पास इस न्यायालय में एक वकील को शामिल करने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा होगा और यह भी कि पिछले लगभग पांच वर्षों में, जिसके दौरान विशेष अनुमति याचिका बनी रही।

इस न्यायालय में लंबित रहने के कारण, उन्होंने न्याय पाने की सभी उम्मीदें खो दी होंगी।

4. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत नानाग राम के आश्रितों द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया था और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") द्वारा दिए गए मुआवजे को रुपये की राशि से बढ़ा दिया था और अपीलकर्ता को दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर आईडी 1 तक और आईडी 2 से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन एकतरफा अंतरिम आदेश के कारण।

इस न्यायालय द्वारा 23-7-2007 [न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. शीओ चंद, 2007 का एस. एल. पी. (सी) सं. 11345, आदेश डी. आर. ए. एम. बनाम।

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारतआईएसयूआरएएनसीई कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

दिनांक 23-7-2007 (SC)], दावेदारों को केवल एक मामूली राशि मिल सकती थी

2 लाख रुपये की राशि और उन्होंने शायद सोचा कि अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को लड़ने के लिए पैसे खर्च करना सार्थक नहीं होगा। यह शायद हजारों गरीब वादियों की सोच है, जो निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में सफल होते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय में मुकदमा लड़ने की लागत और खर्च वहन नहीं कर सकते हैं।

देश और सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर इसे अपने भाग्य के रूप में मानते हुए चुपचाप पीड़ित हों।

81. सैयद सादिक बनाम। प्रभागीय प्रबंधक, संयुक्त भारत

रेंस कंपनी लिमिटेड, (2014) 2 एस. सी. सी. 735, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

बलराम प्रसाद बनाम। कुणाल साहा [(2014) 1 एससीसी 384: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 327] इसलिए, इस शीर्ष के नीचे, हम इसे सिर्फ पाते हैं और 25,000 रुपये की अनुमति देना उचित है।

82. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रुपये की राशि प्रदान करते हैं। 50,000 / मुकदमेबाजी के खर्च।

(7) परिवहन का नुकसान 83. इस शीर्ष के तहत, न्यायाधिकरण ने 21.01.2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से,

" 15. परिवहन, विशेष आहार आदिः दावेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद आगे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दावेदार विशेष आहार का भी हकदार है और

पोषण। इसलिए, मैं Rs.20,000/- की राशि प्रदान करता हूं।

यह सिर "।

84. न्यायाधिकरण ने रुपये का फैसला सुनाया। 20,000 / - इस सिर के नीचे। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 25.04.2018 के आक्षेपित निर्णय के पैरा 11 में कहाः

" दर्द के सिर के तहत दिया गया मुआवजा और

पीड़ा, चिकित्सा खर्च, परिवहन, विशेष आहार, आदि।

जीवन और विवाह की संभावनाओं में सुविधाओं का नुकसान उचित और उचित है।

उचित और समान परेशान नहीं है "

85. उच्च न्यायालय ने रुपये की पुष्टि करना उचित समझा। 20,000 / - जैसा कि सम्मानित किया गया

ई ट्रिब्यूनल।

86. हालाँकि, अपीलार्थी ने रुपये का दावा किया है। 50,000 / - की ओर

परिवहन की।

87. मास्टर आयुष (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 14. व्यक्तिगत चोट के मामलों में नुकसान का निर्धारण

आसान नहीं है। मानसिक और शारीरिक नुकसान की गणना धन के संदर्भ में नहीं की जा सकती है, लेकिन इसकी भरपाई करने का कोई अन्य तरीका नहीं है।

न्यायसंगत मुआवजे के भुगतान को छोड़कर पीड़ित। इसलिए, हम पाते हैं कि शारीरिक स्थिति को देखते हुए, अपीलार्थी अपने शेष जीवन के लिए एक परिचारक का हकदार है, हालांकि वह कर सकता है।

सहायक उपकरण की मदद से चलने में सक्षम हों। इस उपकरण को हर 5 साल में बदलने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए, 2 उपकरणों की कीमत यानी 10 लाख रुपये देना उचित है। अपीलार्थी ने न केवल अपना बचपन बल्कि वयस्क जीवन भी खो दिया है। इसलिए, विवाह की संभावनाओं के नुकसान को भी सम्मानित करने की आवश्यकता होगी। विद्वान न्यायाधिकरण ने टैक्सी के खर्च के दावे को इस कारण से खारिज कर दिया है कि टैक्सी चालक ने नहीं किया है

उत्पादित किया गया। असंख्य टैक्सी चालकों को तैयार करना असंभव है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण को उस बच्चे की स्थिति का एहसास होना चाहिए था जिसके पैरों में पूरी तरह से संवेदी हानि थी। इसलिए, अगर बच्चे के माता-पिता उसे टैक्सी में ले गए हैं, तो शायद उनके लिए यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध था। तदनुसार, हम परिवहन के रूप में 2 लाख रुपये की राशि प्रदान करते हैं।

आरोप "।

88. न्यू इंडिया रेंस कंपनी लिमिटेड में इलाहाबाद का उच्च न्यायालय v. अमित कुमार यादव और 2008 के एक अन्य, एफ. ए. ओ. 1285 और 1489 ने 23 मार्च, 2022 को निर्णय लिया, जो इस प्रकार हैः

" 22. राज कुमार बनाम अजय कुमार मामले में मुआवजे के निर्धारण का सवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया।

और दूसरा, 2011 (1) एस. सी. सी. 343। इसमें, दावेदार के बाएं पैर की दोनों हड्डियों में फ्रैक्चर और बाएं त्रिज्या में फ्रैक्चर बना रहा।

भविष्य की कमाई के नुकसान, दर्द और पीड़ा, उपचार की अवधि के दौरान कमाई के नुकसान, चिकित्सा खर्च, परिवहन और विशेष आहार के शीर्ष के तहत मुआवजा। उन्हें कुल एक लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था। 94,700 / - और 9 प्रतिशत ब्याज। वृद्धि के लिए उनकी अपील को न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था और अंततः सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। इसने देखा कि SIDRAM v.

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अधिनियम, 1988 की योजना से पता चलता है कि पुरस्कार "न्यायसंगत" होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मुआवजे को, जहां तक संभव हो, पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से दावेदार को दुर्घटना से पहले के पद पर बहाल करना चाहिए। हर्जाना देने का उद्देश्य गलत काम के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की उचित, उचित और न्यायसंगत तरीके से जहां तक पैसा ऐसा कर सकता है, भरपाई करना है। एक व्यक्ति को न केवल शारीरिक चोट के लिए मुआवजा दिया जाना है, बल्कि उस नुकसान के लिए भी जो उसे ऐसी चोट के परिणामस्वरूप हुआ है। इसका मतलब यह है कि उसे पूर्ण जीवन जीने में असमर्थता, उन सामान्य सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिनका वह आनंद लेता, लेकिन चोटों के लिए, और कमाई करने में असमर्थता के लिए।

जितना वह कमाता था या कमा सकता था।

89. इसलिए, हम अपीलार्थी को 50,000/- रुपये तक के परिवहन और विशेष आहार के नुकसान की अनुमति दे सकते हैं, यह देखते हुए कि दुर्घटना के बाद

कुलगोड-गोकक रोड, अपीलार्थी को बेलगाम के लेकव्यू अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ उन्हें 19 दिनों के लिए 18.7.2012 से 6.8.2012 तक एक इनडोर रोगी के रूप में भर्ती किया गया था, और उन्हें लगी चोटों का इलाज किया गया था, और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी इलाज जारी रखा।

90. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रु। 50,000 / - परिवहन और विशेष आहार के नुकसान की ओर।

गैर-आर्थिक व्यय

(8) दर्द और पीड़ा

91. विरेन्द्र कुमार बनाम के मामले में इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। विजय कुमार और अन्य, (2021) आई. एल. आर. 3 सभी 272, आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान के बीच के अंतर पर चर्चा करते हुए, जो निम्नानुसार हैः

" 9. चोट के मामलों में मुआवजे के अनुदान के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय है। घायल व्यक्ति आर्थिक नुकसान के साथ-साथ गैर-आर्थिक नुकसान का भी हकदार है। आर्थिक क्षति जिसे विशेष क्षति के रूप में भी जाना जाता है, आम तौर पर आर्थिक क्षति को ठीक करने के लिए डिज़ाइन की जाती है जो धन के संदर्भ में गणना करने में सक्षम है जबकि गैर-आर्थिक क्षति अंकगणितीय गणना द्वारा मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। आर्थिक या विशेष नुकसान में आम तौर पर दावेदार द्वारा उसके उपचार, विशेष आहार, [2022] 8 एस. सी. आर. पर किए गए खर्च शामिल होते हैं।

परिवहन, देखभाल/देखभाल की लागत, आय की हानि, हानि अर्जित करने की क्षमता और अन्य भौतिक हानि, जिसकी आवश्यकता हो सकती है

बीमित व्यक्ति को उसके शेष के लिए कोई विशेष उपचार या सहायता

जीवन। सामान्य क्षति या गैर-आर्थिक हानि में शामिल हैं -

मानसिक या शारीरिक सदमे, दर्द के लिए क्षतिपूर्ति,

पीड़ा, जीवन की सुविधाओं का नुकसान, विरूपण, हानि

विवाह की संभावनाएँ, अपेक्षित हानि या जीवन की कमाई, असुविधा, कठिनाई, निराशा, हताशा, मानसिक

भावी जीवन में तनाव, निराशा और दुःख आदि। 92. न्यायाधिकरण ने एक करोड़ रुपये की राशि का फैसला सुनाया। 40,000 / - दर्द और

पीड़ा होती है। उच्च न्यायालय ने रुपये की राशि की पुष्टि की। 40,000 / - . हालांकि, अपीलकर्ता रुपये की वृद्धि की मांग कर रहा है। 40,000 / - इसे बनाने के लिए

रु. 1,00,000 / - दर्द और पीड़ा के मुआवजे के लिए।

93. दर्द और पीड़ा को गैर-आर्थिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

हानि क्योंकि यह अंकगणितीय रूप से गणना करने में असमर्थ है। इसलिए, जब दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा दिया जाना है, तो विशेष दावेदार की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें पीड़ित की उम्र, पीड़ित को असामान्य अभाव का सामना करना पड़ा है, उसके भविष्य के जीवन पर उसका प्रभाव शामिल है। आर. डी. हट्टंगड़ी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने इस पहलू पर चर्चा करते हुए कहा किः

" 10. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि दुर्घटना के कारण

अपीलार्थी जो एक सक्रिय वकील था, बन गया है

उसे लगी चोटों के कारण पैराप्लेजिक। यह है।

इस पृष्ठभूमि में सटीक राशि का आकलन करना वास्तव में कठिन है।

पीड़ित के दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजे का

अपीलार्थी और आजीवन विकलांग बनने के लिए। मुआवजे की कोई राशि भौतिक ढांचे को बहाल नहीं कर सकती है।

अपीलार्थी का। यही कारण है कि अदालतों ने कहा है कि

जब भी कोई राशि मुआवजे के रूप में निर्धारित की जाती है

दुर्घटना के दौरान लगी किसी भी चोट के लिए देय, वस्तु

इस तरह की चोट की भरपाई करना है "जहाँ तक पैसा कर सकता है

क्षतिपूर्ति "क्योंकि पैसे की बराबरी करना असंभव है मानवीय पीड़ाओं या व्यक्तिगत अभावों के साथ। पैसा।

एक टूटी हुई और टूटी हुई भौतिक संरचना को नवीनीकृत नहीं कर सकते।

**

**

**

*

*

★

17 . ..... जब दर्द के लिए मुआवजा दिया जाना है और

पीड़ा और जीवन की सुविधा की हानि, विशेष परिस्थितियाँ SIDRAM v.

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

दावेदार को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें उसका भी शामिल है आयु, उसने जो असामान्य अभाव झेला है, उसका उसके भावी जीवन पर प्रभाव। गैर के लिए मुआवजे की राशि

आर्थिक नुकसान का निर्धारण करना आसान नहीं है, लेकिन पुरस्कार में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है।

विचार करें "।

94. यह न्यायालय महादेव शेट्टी (उपरोक्त) के मामले में, निर्णय देते समय विचार किए जाने वाले कारकों पर चर्चा करते हुए दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजे में कहा गया था किः

" 18. एक व्यक्ति को न केवल दुर्घटना के कारण चोटें लगती हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन में दुर्घटना के कारण मन और शरीर में भी पीड़ा होती है और एक भावना विकसित होती है कि वह अब एक सामान्य व्यक्ति नहीं है और किसी अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन की सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकता है। क्षतिपूर्ति तय करते समय

दर्द और पीड़ा के साथ-साथ जीवन की सुविधाओं के नुकसान के लिए भी, उसकी उम्र, वैवाहिक स्थिति और असामान्य अभाव जैसी विशेषताएँ

उसके जीवन में किए गए कार्यों की गणना की जानी चाहिए।

95. निज़ाम के आयुर्विज्ञान संस्थान बनाम में इस न्यायालय के एक अन्य मामले में। प्रशांत एस. धनंक और अन्य, (2009) 6 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने रुपये की बहुत बड़ी राशि प्रदान की। 10,00,000 / - पीड़ित के दर्द और पीड़ा के कारण। यह 20 साल की उम्र के इंजीनियरिंग छात्र का मामला था, जो चिकित्सा लापरवाही का शिकार हुआ था। इस अदालत के समक्ष मामला एक युवा छात्र का था जो पैराप्लेजिया का शिकार होने के कारण व्हीलचेयर तक ही सीमित था, और जिसने शिक्षा में अपना करियर बनाया और अंततः एक अच्छे वेतन पर आई. टी. इंजीनियर के रूप में काम करने लगा।

96. इस न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजे का आदेश दिया है। इसलिए, विचार करें।

कि अपीलार्थी दुर्घटना के समय केवल 19 वर्ष का था और 45 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का सामना कर रहा था, उसे इस शीर्ष के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए।

97. इसके अलावा, नागप्पा (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय,

अभिनिर्धारित करता है कि दावेदार द्वारा दावा किए गए मुआवजे से अधिक मुआवजा देने में कोई प्रतिबंध नहीं है।

98. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम एक राशि प्रदान करते हैं

रु. 1,00,000 / - दर्द और पीड़ा की ओर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(9) विवाह की संभावनाएँ

99. न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी युवा था, और शारीरिक अक्षमता के कारण, उसकी शादी की संभावनाएँ अब लगभग शून्य हैं। न्यायाधिकरण रु. में सम्मानित किया गया। 20,000 / - इस सिर के नीचे। उच्च न्यायालय ने रुपये की राशि को बरकरार रखा। 20,000 / - .

100. संजय कुमार (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 14 ..... शादी की संभावनाओं के नुकसान के बिंदु पर, हम महसूस करते हैं कि

यह एक बड़ा नुकसान है, कम उम्र को ध्यान में रखते हुए

अपीलार्थी और उच्च न्यायालय ने गंभीर रूप से गलती की है इस शीर्ष के तहत अलग से पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना और इसके बजाय इसे "भविष्य के आनंद के नुकसान" के तहत जोड़ा गया।

जीवन "और" दर्द और पीड़ा "। हम इस प्रकार 75,000 रुपये का पुरस्कार देते हैं।

विवाह की संभावनाओं के नुकसान की ओर। '

101. इब्राहिम बनाम। राजू और अन्य (2011) 10 एस. सी. सी. 634, यह

अदालत ने कहाः

" 19. उन्हें लगी चोटों के कारण, संभावनाएँ

अपीलार्थी के विवाह में काफी कमी आई है। बल्कि, वे बेहद धूमिल हैं। किसी भी मामले में, के कारण

श्रोणि का फ्रैक्चर, वह आनंद नहीं ले पाएगा

वैवाहिक जीवन। इसलिए, इस शीर्ष के तहत 50,000 रुपये के पुरस्कार को पूरी तरह से अपर्याप्त माना जाना चाहिए। तथ्यों में और मामले की परिस्थितियों में, हम महसूस करते हैं कि विवाह की हानि के लिए अपीलार्थी को 2 लाख रुपये की राशि दी जानी चाहिए।

जीवन की संभावनाएँ और आनंद।

102. मास्टर आयुष (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि पीड़ित (5-वर्षीय, पैराप्लेजिक) रुपये का हकदार था।

" 14 ..... अपीलार्थी ने न केवल अपना बचपन बल्कि वयस्क जीवन भी खो दिया है। इसलिए, विवाह की संभावनाओं का नुकसान भी होगा

पुरस्कार दिए जाने की आवश्यकता है।

103. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रुपये की राशि प्रदान करते हैं। 3,00,000 / विवाह की संभावनाओं के नुकसान की ओर।

(10) सुविधाओं का नुकसान

104. न्यायाधिकरण ने माना कि रुपये की राशि। 30,000 / - सुविधाओं के नुकसान के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने डी. आर. ए. एम. बनाम राशि को बरकरार रखा।

द डिविजनल मैनेजर, संयुक्त भारत[सरांस कं. लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

. 30,000 / - जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है। अपीलार्थी का दावा

सुविधाओं का नुकसान रु। 50,000 / - .

105. इस न्यायालय ने पप्पु देव यादव (ऊपर) के मामले में,

वेदः

" 6. इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किए जाने वाले सिद्धांत

दुर्घटना, नुकसान के लिए अन्य क्षतिपूर्ति निर्देशों के साथ सुविधाएं और अन्य भुगतान। ये सामान्य सिद्धांत हैं -

कई निर्णयों में कहा और दोहराया गया। [गोविंद यादव

वी. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [गोविंद यादव बनाम. नया भारत

बीमा कंपनी लिमिटेड, (2011) 10 एस. सी. सी. 683।]

106. आर. डी. हट्टंगड़ी (ऊपर) में यह आयोजित किया गया हैः

" 12. अपनी प्रकृति में जब भी कोई न्यायाधिकरण या अदालत

के मामलों में मुआवजे की राशि तय करने की आवश्यकता है दुर्घटना, इसमें कुछ अनुमान शामिल हैं, कुछ काल्पनिक

विचार, प्रकृति से जुड़ी सहानुभूति की कुछ मात्रा

होने वाली अक्षमता। लेकिन उपरोक्त सभी तत्वों में

वस्तुनिष्ठ मानकों के साथ देखा जाना।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

17. ..... जब दर्द के लिए मुआवजा दिया जाना है और

पीड़ा और जीवन की सुविधा की हानि, विशेष परिस्थितियाँ

आयु, वह असामान्य अभाव जो उसने झेला है, उसका प्रभाव अपने भविष्य के जीवन के बारे में "।

107. राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 5. ..... एक व्यक्ति को केवल शारीरिक क्षति के लिए मुआवजा नहीं दिया जाना है।

चोट, लेकिन उस नुकसान के लिए भी जो उन्हें इसके परिणामस्वरूप हुआ ऐसी चोट। इसका मतलब है कि उसे उसके लिए मुआवजा दिया जाना है।

पूर्ण जीवन जीने में असमर्थता, उन सामान्य जीवन का आनंद लेने में असमर्थता ऐसी सुविधाएँ जिनका उन्होंने आनंद लिया होगा लेकिन चोटों के लिए,

और जितना वह कमाता था या कमा सकता था उतना कमाने में उसकी असमर्थता कमाया है "।

108. श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण मौर्य (ऊपर) के मामले में,

न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 15. निरस्त किए गए निर्णयों का अनुपात यह है कि यदि पीड़ित

न केवल शारीरिक चोट और उपचार के लिए मुआवजा, लेकिन इसके कारण होने वाले दर्द, पीड़ा और आघात के लिए भी

दुर्घटना, कमाई का नुकसान और पीड़ित की नेतृत्व करने में असमर्थता

सामान्य जीवन जीएँ और सुविधाओं का आनंद लें, जिनका उन्होंने आनंद लिया होगा। लेकिन दुर्घटना के कारण हुई अक्षमता के लिए।

} }

109. गोविंद यादव (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 18. हमारे विचार में, अरविंद कुमार में निर्धारित सिद्धांत

मिश्रा बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2010) 10 एस. सी. सी. 254

और राज कुमार बनाम। अजय कुमार (2011) 1 एससीसी 343 होना चाहिए

सभी न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया गया

अस्थायी रूप से। यदि दुर्घटना का शिकार व्यक्ति स्थायी रूप से पीड़ित होता है अक्षमता, तो पुरस्कार देने के लिए हमेशा प्रयास किए जाने चाहिए

न केवल शारीरिक चोट के लिए पर्याप्त मुआवजा और

उपचार, लेकिन कमाई के नुकसान और उसकी असमर्थता के लिए भी

सामान्य जीवन व्यतीत करें और सुविधाओं का आनंद लें, जो उनके पास होतीं।

आनंद लिया लेकिन दुर्घटना के कारण हुई विकलांगता के लिए "।

110. विजयकुमार बाबूलाल मोदी (ऊपर), गुजरात उच्च न्यायालय

वेद निम्नानुसार हैः

" ऐसा प्रतीत होता है कि इस शीर्ष के तहत दावा इस प्रकार है -

3 लाख रु. हालांकि, न्यायाधिकरण ने कोई राशि नहीं दी है 'सुविधाओं का नुकसान' शीर्षक के तहत। हमारा मानना है कि

इस प्रमुख को सामान्य जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

जो चोट लगने के कारण खो गए हैं। आर. डी. हट्टंगड़ी का मामला (ऊपर), इसमें विभिन्न मामले शामिल हैं

जैसे चलने, दौड़ने या बैठने में असमर्थता, आदि। हम यहाँ शामिल करते हैं

भी बचपन के आनंद की हानि जैसे कि स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता

खेलना, नृत्य करना, दौड़ना आदि, स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता का नुकसान या

विवाह के साथ-साथ होने की क्षमता का पूर्ण नुकसान यौन संबंध बनाना और बच्चे पैदा करना और उनका पालन-पोषण करना।

111. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम एक राशि प्रदान करते हैं

0,000 / - SIDRAM v तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के नुकसान के लिए।

द डिविसियनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। AND ANDR। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कि अपीलार्थी दुर्घटना के समय 19 वर्ष का था, और उसे लगी चोटों की प्रकृति और उसकी अक्षमता की सीमा को भी ध्यान में रखते हुए।

112. विभिन्न शीर्षों के तहत हमारे द्वारा दिया गया कुल मुआवजा

यह निम्नानुसार हैः

एस. एन. ओ। प्रतिस्पर्धा

अमौन्ट

(इन रुपीस)

अक्षमता के कारण कमाई का नुकसान

1

7,77

,600 /

48,

000 /

6 महीने से कमाई का नुकसान

2 .

चिकित्सकीय खर्च

1,55

,000 /

3 .

भविष्य के चिकित्सा खर्च

2,16,

000 /

4 .

परिचर शुल्क

4,32,

000 /

5 .

50,
000 /

मुकदमेबाजी शुल्क

6 .

परिवहन की हानि

7 .

50,
000 /

दर्द और पीड़ा

1,00
,000 /

8 .

विवाह की संभावनाएँ

3,00,
000 /

9 .

सुविधाओं का नुकसान

50,
000 /

10

कुल

21,78
,600 /

113. इस मामले को समाप्त करने से पहले, इसे रेखांकित करने की आवश्यकता है,

पप्पु देव यादव (ऊपर) में कहा गया है कि अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक गंभीर चोट न केवल स्थायी रूप से शारीरिक सीमाओं और अक्षमताओं को लागू करती है, बल्कि अक्सर गहरे मानसिक और भावनात्मक निशान भी लगाती है

पीड़ित। पीड़ित को एक में रहने के लिए परिचर आघात

जिस दुनिया में वह पैदा हुआ है, उससे पूरी तरह से अलग दुनिया में, एक अमान्य के रूप में, और दूसरों पर निर्भरता की डिग्री के साथ, पूरी व्यक्तिगत पसंद या स्वायत्तता को लूटा जाना चाहिए, हमेशा न्यायाधीश के दिमाग में होना चाहिए, जब भी मुआवजे के दावों का निर्णय करने का काम सौंपा जाता है। इस तरह की चोटों के कारण लगाई गई गंभीर सीमाएं व्यक्ति की गरिमा (जिसे अब अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक आंतरिक घटक के रूप में मान्यता दी गई है) को कमजोर करती हैं, इस प्रकार व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन के अधिकार के सार से वंचित करती हैं जो वह अब तक जी चुका था। सक्षम शरीर की दुनिया से, पीड़ित को विकलांगों की दुनिया में धकेल दिया जाता है, जो खुद सबसे अधिक परेशान करने वाला और परेशान करने वाला होता है। यदि अदालत इन परिस्थितियों से बेखबर रहती है और मामूली निर्णय देती है, तो इसके परिणामस्वरूप घायल पीड़ित का अपमान होता है। [देखिए: पप्पु देव यादव (ऊपर)]

114. इसलिए हम प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश देते हैं-बीमा

कंपनी अपीलार्थी को भुगतान करेगी-दावेदार मुआवजे में अंतर 474

सर्वोच्च न्यायालय

अमो के खिलाफ यहाँ ए से सम्मानित किया गया

उच्च न्यायालय। बढ़ी हुई राशि पर ए. एम. ब्याज को समायोजित करने के बाद आज से प्रत्यर्थी संख्या 1-बीमा कंपनी को दी जाने वाली राशि

115. नतीजतन, एपिया

बी.

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

116. लंबित आवेदन, आई. एफ. ए.

निधि जैन

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)